

THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1992

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh) : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI : Madam, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (TO AMEND THE EIGHTH SCHEDULE)

श्री एस. एस. अहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री एस. एस. अहलूवालिया : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

THE BIHAR ATOMIC AUTHORITY BILL, 1992

श्री एस. एस. अहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार राज्य में बिजली के उत्पादन के लिए एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक परमाणु प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री एस. एस. अहलूवालिया : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (INSERTION) OF NEW ARTICLE 19A)

श्री एस. एस. अहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने

वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री एस. एस. अहलूवालिया : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990 (TO AMEND ARTICLE 51A)

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa) : Madam, I beg to move that the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration. Madam, as I mentioned earlier it is only a small Bill. It is a Bill which is non-controversial. It is a Bill which seeks to amend article 51A regarding fundamental duties. The Constitution was amended in 1976 and we saw to it that certain fundamental duties were introduced in the Constitution. After many years the Parliament saw that the Constitution enshrined only fundamental rights and fundamental duties were not enshrined in the Constitution. Therefore, I feel it was very appropriate for the Government to amend the Constitution and insert a new chapter and a new clause, that is 51A. But nowhere in the statute has it been mentioned that voting is a duty. If we go through the Objects and Reasons of the Bill we find that most of the evils in public life like corruption in public life are because of this. It is not compulsory for every citizen to vote. Votes have become a purchasable commodity in the market. In view of this I feel it would be appropriate if this non-controversial clause is introduced in the Constitution. Our Constitution is a modern Constitution because this Constitution was derived after debating for years together. I think it took three years for the framers of our Constitution to debate it in the Constituent Assembly. I think it is the best because we have copied, we have taken the best from six Constitutions of the world, that is, the USA, Canada, Great Britain—which is an unwritten Constitution, Germany and even Switzerland. I say the best because in Switzerland, if you see the Swiss Constitution, you will find that women did not have voting rights up to 1971. So we

have not taken the bad part. Our Constitution is not rigid. It is a vibrant and a flexible Constitution. The very fact that the framers of our Constitution inserted article 368 goes to prove this point that the Constitution is most vibrant. It is a living Constitution which can rise to the occasion and change from time to time according to circumstances and as the country or the society may demand. Democracy in India, we now, was not given to us on a platter by the colonial masters. We had to fight for it. Our freedom-fighters had to shed their blood. Therefore, the Constitution and the institution of democracy is hard-earned and it is the duty of every citizen to see that it is vibrant, workable and that it continues for posterity. It is said that Indian democracy is the largest working democracy in the world. But at the same time it is shocking to see that most of the citizens do not participate in elections. They do not vote. We find at times only 45 to 50 per cent of people have voted and yet the Government is elected and although it is a minority Government it goes to office and it rules. Democracy is rule of the majority. I feel there is some flaw somewhere in the statute that it is not made mandatory, that it is not obligatory for a citizen to vote. We have witnessed it as observers of political parties. We go to many States to conduct elections. Specially, when I went to the North-East region—I mean no insult to that region—but it was very shocking to note that the ballot papers were brought out from the election booth and they were sold as commodities in the market. They were quoting it at thousands and thousands of rupees. So that makes a mockery of our democracy because every citizen feels that the ballot paper is a commodity and can be sold. It is also felt further that politicians are at the mercy of the votes. I do not think we can clap with one hand. We cannot run this democracy by politicians themselves. And in our country, to be in politics is taken as some sacrilege or offence. When we say that we have to run the institution of democracy, it is for every citizen to participate in it. So I feel that this is the first step that by inserting this article in the fundamental duties, it will become an obligation on the part of a voter to see that he doesn't sell his vote or that he doesn't demand some

transport or other facilities from a candidate or a political party. Madam, there are small countries—let me name only three of them—Peru, Malaysia and Singapore, where voting at an election is mandatory. Not to vote is an offence there. And these are small democracies. Our democracy, as we boast, is the largest democracy, most modern democracy, the most feasible, working democracy. I feel that it is not proper for us to linger on with the drawbacks of the statute, drawbacks which were not inserted in our Constitution. I feel it is high time that we reviewed all the electoral laws in the statute and saw that the lacunae which gave rise to the malpractices in the society were removed. In India to be in politics is considered a dirty game and every politician is looked down upon with contempt. I don't think it is proper for the other part of the society to brand the political sections of the society in this fashion. In India to be in politics is a social sacrifice. We are not paid; the politicians are not paid, whereas in other countries, say in Germany, every person who is in public life, in politics, is paid by the State. The elections are fought by the State. So I feel that it is high time we rose, we woke up and ensured that our democracy was made more workable. As I have already mentioned, the voters' turnout is very poor. And the time may come when only 20% of the people would vote and a Government formed. I don't think it is good. That will defeat the very purpose... (*Interruptions*).

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Members do not come to the House also.

SHRI JOHN F. FERNANDES : Therefore, I say that it will be obligatory on the part of the Members also. They will have to come and vote for this Bill. I feel that before it is too late, we should rise to the occasion and we have to see that the evils in our society are plugged. I feel the main reason for corruption in public life, in politics, is that the voter has no obligation to vote. Therefore, he demands money from every candidate, every political party, which in turn forces the Government in power to see that money is got by illegal means. It is a known fact in our country that in our economy, 60% is black money and only 40% is white. This is no secret. So I feel that this is one of the main draw-

[Shri John F. Fernandes]

backs where a politician has to see that he gets money to fight an election, to win an election and to run the Government. This is a vicious circle. So I think that by considering my amendment, it will be the first step towards amending the other sections or the other Acts in the statute. I think we have to overhaul all our electoral laws. There is a national debate as to whether the political parties and the election should be funded by the State. I feel that it will be most appropriate that to do away with the evils of our society and the corruption in public life, the elections should be regulated by the State and the political parties, the politicians, should be funded by the State because when a person becomes a politician, he becomes a full-time public worker; he doesn't have any other work... (Interruptions).

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Then everybody will become a politician.

SHRI JOHN F. FERNANDES: They are most welcome because it is they who have to run the institution of democracy. So I think that it will be an inspiration for more and more people come into public life, as mentioned by my colleague. I feel that more and more people should enter politics because without their participation in the day-to-day political affairs of the country, I don't think that this democracy can function. A day might come when we would have slipped into some oblivion and some tyrant would have taken over us.

I hope I will get the support of this House on this Amendment Bill. I do not feel that the Government will have any objection to see that this small amendment is inserted in the Constitution of India. I would also like to request the Government to see that right to vote is made a fundamental right and any voter who does not vote should be made liable for punishment.

Small countries like Peru, Malaysia, Singapore etc. have this law. If these small countries can have this law, I do not know why our country should not have this law so that our democracy, which is hard-earned, is carried on for many years to come. I hope the Government will not ask me to withdraw this Amendment Bill. With these few words, I solicit the support

of this august House and request the Government to see that this Amendment Bill is passed and included in the Constitution.

Thank you, Madam.

The question was proposed.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय फर्नांडिस जी ने 51(ए) में संशोधन इतने अपना बिल सदन में प्रस्तुत किया है। बिल की भावना के पीछे, उसका संतुष्ट अगर देखें तो वह यह है कि बड़ी सी बड़ी तादाद में, बड़ी सी बड़ी संख्या में देश के नागरिकों को नृनाशों में घोट देना चाहिये। यह इसकी भावना मालूम पड़ती है। दूसरा वह चाहते हैं कि यह मीडेटर न हो, ऑब्जिगेटरी, फंडामेंटल इयूटीज में यह शामिल हो जाये। वह उनका मकसद है कि यह संविधान में स्थान पा जाये। सचमुच हमारे लिये और सारे देश के लिये यह बड़े गौरव की बात की है कि हमारा देश दनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक डेमोक्रेसी है और यहां पर बड़े पैमाने पर इलेक्शन होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन दूसरे लोग सोच भी नहीं पाते हैं। हमारे लिये यह बड़े फख्र की बात है कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के नागरिक हैं, उनके नुमाइन्दे हैं और हिन्दुस्तान का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट हाउस है, उसकी हम सदस्य हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के नागरिक जो इनकी किस्मत तय करते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के भाग्य और उनके जीवन को तय करते हैं, निश्चिन्ता करते हैं, जिस पार्टी को वह सरकार बनाने और शासन चलाने की आज्ञा देते हैं, तो आखिर इसके लिए वोट बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हो पाता? लोग इसमें क्यों दिलचस्पी नहीं लेते हैं? यह एक बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है। देश की भावी पीढ़ी के विकास के लिये, देश का शासन चलाने के लिये यह जो तरकीब है, फैसला करने का, वह भी वोट के जरिए, सब की राय से—प्रजातंत्र में सभी, शासक वोटर सभी देश के मालिक होते हैं फिर वे वोट देने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं? यह बुनियादी सवाल है। यह बिल जो श्री फर्नांडिस जी ने रखा है, इससे यह बात उत्पन्न होती है और मैं यह ध्वनि चाहता हूँ कि इसकी बुनियाद में हम देश के नागरिक बड़े

[श्रीधर सिंह]

पमान पर इलेक्शन में उत्साह के साथ भाग लेने के लिये क्यों प्रस्तुत नहीं होते, इसकी बुनियाद में बहुत सारी चीजें हैं। इसका जो कारण है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात मेरी नजर में यह है कि हमारी पार्टियों के द्वारा, विभिन्न ग्रुपों के जरिये जो अधिकांश कैंडीडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी पोलिटिकल जिन्दगी या देश के निर्माण से, देश के विकास से या नागरिकों के कल्याण से उनका कोई वास्ता नहीं होता। रेडी-मेड कैंडीडेट मिल गए, हवा बा गई, लहर आ गई, खड़े हो गए और मंत्री भी बन गये। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी बहुत से नागरिक ऐसे कैंडीडेट्स के जीत जाने पर और मंत्री बन जाने पर हंसी करते हैं। डेमोक्रेसी का जो गार्डियन है, प्रजातंत्र के जरिये जिसके हाथ में भारत का शासन आना चाहिये उसका कोई करेक्टर, फिलॉस्फी, दर्शन, देश का निर्माण तथा भारत के नागरिकों के जीवन दर्शन का चित्र उनके सामने होना चाहिये। जब एक अच्छे स्टाफ का कैंडीडेट होगा तो उतना ज्यादा उत्साह हमारे मन में आता है। हम जानते हैं जहाँ अच्छे-अच्छे कैंडीडेट चुनाव में खड़े होते हैं, जो क्षेत्र की सेवा करते हैं, जिनका राजनीतिक कैरियर होता है, जो लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, जो जनता को बुनियादी सुविधाएँ दिलाने के लिए आम तौर पर संघर्ष करते हैं, जुझते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को बगैर पैसा खर्च किये भी लोग जिताने की कोशिश करते हैं। हमने यह देखा है कि ऐसे चुनाव क्षेत्रों में मत डालने का प्रतिशत बहुत अधिक रहता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी पोलिटिकल पार्टीज और पोलिटिकल ग्रुप्स के सामने और इंडीपेंडेंट उम्मीदवारों के सामने भी यह सवाल है। हमारे कैंडीडेट्स का जो स्टाफ है वह बहुत अच्छा होना चाहिये। यह जिम्मेदारी इंडी-विजयलज पर नहीं जाती है क्योंकि हर आदमी कहता है कि I only am the "I am the best candidate, winner candidate, I alone can change the fate of the country." and so on.

गह तो इंडीविजयलज की राय है लेकिन

राजनीतिक पार्टियों का यह छद्म संकल्प होना चाहिये कि उनकी तरफ से जो भी कैंडीडेट आए वह आदर्श कैंडीडेट हो। इससे वोटर्स के मन में वोट डालने का उत्साह पैदा होता है। एक बड़ा संकट यह भी होता है कि पोलिंग स्टेशनों पर जब वोटर जाता है तो वहाँ पर यह देखता है कि बूथ कंपैरिंग हो रही है, कोई ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था नहीं है। पता चलता है कि वोट डालने से पहले ही उसका वोट पड़ गया अर्थात् बोगस वोटिंग हो जाती है। आप जानते हैं कि वोटर खर्च कर के घर से जाता है, तैयारी करके जाता है, लाइन में खड़ा होता है, इन्तजार करता है जब पोलिंग बूथ में पहुँचता है तो पता चलता है कि वोट तो पड़ गया। इससे वेह निराश हो जाता है, चला जाता है। तीसरा, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो वोटिंग मशीनरी है वह भी वोटर्स के लिए हेल्लफुल नहीं है। उनको कागज पसलने में दिक्कत होती है। देखते हैं आपका नाम ही नहीं है, वोट पड़ गया, वह पेंस लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे जैसे निवेदन किया कि हमारे पोलिंग स्टेशनों पर ला एन्ड आर्डर हो, जमन और शान्ति का वातावरण हो। वोटर्स को यह लगना चाहिये। कि हम को वोट देना है, उसको यह एक पर्व की तरह लगना चाहिये त्योहार की तरह लगना चाहिये। उसको यह महसूस होना चाहिये कि वोट डालना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। लेकिन जब वहाँ पर झगड़े हों, डंडा-लकड़ी लकड़ी चले, कोई सफाया वा जा जाए और सब जला-जल कर चला जाए तो कौन वोट डालने जाएगा, जार्ज फर्निडज जी? मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, यह सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोग शान्तिपूर्ण ढंग से वोट डाल सकें। यह जो पोलिंग स्टेशन है यह कम से कम इलेक्शन के दिन बिल्कुल मन्दिर और धर्म के स्थान की तरह से पूजनीय होने चाहिये। यह बंडा-लकड़ी पत्थर का जो तमाशा बना रहता है यह खत्म होना चाहिये। यह गवर्नमेंट की इयूटी भी है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जितने लोग हैं उनकी भी इयूटी है। कौन जानता है कि कम से कम मंत्री बन जाए। इसलिए यह उनकी सब की इयूटी हो जाती है। तीसरा बड़ा सवाल है

[बीधरी हरि सिंह]

बोगस वोटिंग का। इस को खत्म करने के लिए मैं यह यशस्वी बनना चाहता हूँ कि हर वोटर के पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिये। वह अपने आइडेंटिटी कार्ड को जा कर दिखा दे और वोट डालने के बाद उसके आइडेंटिटी कार्ड पर निशान लगा दिया जाए कि वोट पड़ गया। यदि किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसके वोट नहीं डालने दिया जाना चाहिये। यह कोई एक दिन का, दो दिन का काम नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बाडी है। हर जिले के लेवल पर परमानेंटली अधिकारी नियुक्त हैं जो ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ और डे टू डे बराबर फॉन्शन करते हैं। आइडेंटिटी कार्ड दिये जाने के बाद बोगस वोटिंग को रोका जा सकेगा। यह खर्चीला साधन अवश्य है लेकिन राशन कार्ड चरित्र प्रमाण-पत्र तथा बहुत सारे वेरिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ती है। इलेक्शन के लिए हर वोटर का आइडेंटिटी कार्ड बन जाए। खर्च के बावजूद भी एक बार सरकार को हिम्मत करके जिसिजन लेना चाहिये.....

3-00: \$,M.

कि हम आइडेंटिटी कार्ड्स बनाएंगे और तब इससे बोगस वोटिंग रुकेगी। इलेक्शन में सबसे बड़ी बात कहते हैं कि वोटिंग खराब लेते हैं। हालांकि सरकार ने इसमें स्टैप लिया है लेकिन अमल में नहीं आ पाता है। एक सवारी का, वोट डाने का मर्ज चल पड़ा है और जो आदमी सबसे ज्यादा गाड़ियां लगा देता है, तांगा, इक्का आगाता है वह वोट कम जबर्दस्ती लेकर चला जाता है। चाहे बहुत अच्छा कंडीट भी बड़ा हो। इस पर सरकार को स्ट्रिक तोर पर करना चाहिए कि उस दिन कोई भी गाड़ी वोट खेन में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यह भी हो जाना चाहिए कि जो लोग अपनी गाड़ी से, क्लीकल से जाना चाहते हैं अपने परिवार को लेकर, मय दग्गी से लेकर, रिक्शा से लेकर, वे अपना नाम लिखा दें कि मैं अपने परिवार को लेकर जाऊंगा। यह नहीं कि उसके किराये पर चलाते रहे। तो यह रुकना चाहिए।

तीसरा, जो बड़ा एक्सपेंसिव खर्च पड़ता है वह यह कि हर कंडीडेट अपनी आइडेंटिटी स्लिप बांटता है। इससे कंडीडेट का भी बड़ा खर्च होता है। लाखों रुपया छपाई में चला जाता है। मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपये का खर्च इस बात में हो जाता है कि कंडीडेट को अपनी स्लिप छपवानी पड़ती है और उसके घर-घर बांटता है और यह प्रापर हो भी नहीं पाता। तो मेरा इस वक्त सजेशन यह है कि वोटिंग करवाने के लिए सरकार को बकायदा बहुत कायदे के साथ, अच्छी कंडीशन में बनी होने के साथ आइडेंटिटी स्लिप घर-घर में बंटवानी चाहिए, भले ही वह कंडीडेट से उसका रुपया भी ले ले कि पर कंडीडेट इस काम के लिए सरकार को इतना रुपया देना होगा। सरकार खुद अपने कर्मचारीगण डेलीवेज में भती करके इस काम में लगावे और उनसे आइडेंटिटी स्लिप बंटवाये यह नहीं कि कंडीडेट करे। क्योंकि बड़ी परेशानी होती है, लाखों परेशान होते हैं, कंडीडेट परेशान, ये परेशान और खर्च का तो यह है कि जिसके पास पैसा होता है, ब्लैक मनी, वह बड़ा इलेक्शन में पार्ट प्ले करती है। ब्लैक मनी पर सीधे तो उन दिनों आप रंडे डाल नहीं सकते, इलेक्शन कंडीडेट हो जाता है। आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं, उनके खाले नहीं देख सकते हैं आमदनी को लेकिन जो कर सकते हैं वह यह है कि उनकी गाड़ियों पर लिमिट हो सकती है कि कितनी गाड़ियां चलाएंगे। किस-किस नम्बर की गाड़ी होगी, किससे आप पेट्रोल लेंगे। यह सारा जायज, प्रेक्टिकल रूप में होना चाहिए। थ्योरेटिकल तो कह देते हैं कि इतनी से ज्यादा गाड़ियां नहीं चलाएंगे। अगर ब्लैक मनी का हम प्ले रोकना चाहते हैं, इलेक्शन और वोट को परचेस करने से रोकना चाहते हैं तो हमको यह करना होगा कि जो खर्च की एक्जुअल लिमिट रखते हैं उसे ज्यादा न देखकर अमल से, काम से, प्रेक्टिस से, उसके रखाव से, खर्च से, पब्लिसिटी से और अन्य सारी चीजों को देखें तब ब्लैक मनी का प्ले रुकेगा, वरना जिसके पास ज्यादा रुपया होता है वह जीत जाता है, इलेक्शन को मैन्युवर कर लेता है। इलेक्शन उसी के हाथ में होता है जिसके पास पैसा होता है। माननीया, मैं यह कहना चाह रहा था कि इलेक्शन को अगर ठीक से चलाता है तो उसमें

वर्क मनी का प्ल हमको रोकना होगा। बहुत सारे नान-सीरियस कैंडिडेट्स जो खड़े हो जाते हैं उसको रोकने के लिए बड़ी कमीशन की जा रही है। कैंडिडेट के डिपॉजिट का कुछ रूपया बढ़ाया गया है। लेकिन रूपया आज के वक्त में क्या है उसके लिए जो कैंडिडेट खड़ा होता है। एक बड़ी प्रॉब्लम यह हो गयी है कि इतने कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं कि और तो और एक नया हॉटल और निकल गया है काउंटिंग टेबुल को कैंचर करने के लिए... (व्यवधान) माननीया, मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर चाहता हूँ। जरा उससे ध्यान कर लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप बोलिए।

चौधरी हरि सिंह : माननीया, जो एक सबसे बड़ी बीमारी इन इलेक्शंस में जा गयी है वह शायद आपकी जानकारी में होगी और वह यह है कि आज तो इलेक्शन की जो काउंटिंग टेबुल्स होती हैं उनको कैंचर कर लेते हैं इसलिए कि इतने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं और अपने पैसे से कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, ये डमी कैंडिडेट होते हैं लेकिन जब काउंटिंग होगी तो हर कैंडिडेट उतने ही काउंटिंग एजेंट होंगे जितने कि रीयल के या पीछे कैंडिडेट के, जो सीरियस कैंडिडेट है, उसके हाथों। नतीजा यह होता है कि एक कैंडिडेट सारी टेबुल्स को सारे दूध को या जो सारा काम है उसको कैंचर कर लेता है। नतीजा यह है कि जिसके पास पैसा है जो ज्यादा कैंडिडेट खड़े कर देता है वह काउंटिंग में गड़बड़ कर देता है। काउंटिंग प्रापर नहीं होने देता है। यह बुनियादी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। यह एक नया निकला है। इस पर भी हमारी सरकार को, इलेक्शन कमीशन को रोक लगाने के लिए ध्यान देना चाहिए कि जब तक नान सीरियस कैंडिडेट्स मैदान से नहीं हटेंगे इलेक्शन में कोई गम्भीरता नहीं आ सकती है, प्रापर वोटिंग नहीं हो सकती, इलेक्शन नहीं हो सकता। यह चीज बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपका ध्यान इस ओर विशेष तौर से खींचने का आग्रह किया और आपकी चंद मोमेंट्स के लिए मैंने वोट भी इसलिए को कि आप बड़ी वोकल है जगह-जगह बात भी

करती हैं, पार्टी से संबंधित भी हैं, मेरी तरह से - इस बात को आप रखेंगी कि बाज-कल को काउंटिंग की बचत से इन्वेन्शन अपस्ट भी कर देते हैं। इसको कम्प्यूरी तौर पर बड़ी मजबूती से शकल लेकर इसको करना चाहिए।

मैं ज्यादा इस बात में न कह कर के यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल की मांगना बहुत अच्छी है, लेकिन डेमोक्रेसी में यह वोटर के ऊपर नहीं, बल्कि पार्टी के ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर है कि वह कितना इन्वेन्शन के प्रति उत्सह पैदा करते हैं भासके के अंदर, उनको कितना लासतियस करती है, एड्रिक्ट करते हैं अपनी पालिसी के लिए कि लोग अपने घर को, चैन-बाराम को छोड़ कर वोट देने के लिए पहुँचें। अपनी भाषना से डेमोक्रेसी की खातिर वोट की तयबारी और पालिसी बनाने के लिए तभी बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी।

मैं इन अल्फाज के साथ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion earlier. I do concede that this is a very simple Bill and a very timely Bill and it is in the interest of democracy in the country, as was explained by the mover of the amendment to the Constitution, proposing amendment of article 51A of the Constitution, to make it obligatory on the part of each citizen to cast his or her vote in the elections to Parliament or State Assemblies or to the local bodies. He has expressed his intention to make the elections really representative, people's election, or I should say he has tried to make the election as an expression by the people through voting, which under the present circumstances is not always the case here. I know of the difficult circumstances obtaining in the State of Punjab when these elections were held, or even earlier elections held in Assam. These were the extreme cases of very difficult circumstances, no doubt, when even the ardent supporters of these elections could hardly claim these elections as truly representative.

I can very well claim that I have seen more elections than the mover of this amendment to the Constitution, because

[Prof. Saurin Bhattacharya]

of accident of earlier birth. I witnessed these elections in the British days and I saw successive elections after Independence. And I am compelled to say that our election has always been, at the beginning, with a reasonable amount of corruption—reasonable in the sense of Indian law—but then it crosses the reasonable limits and we got used to terms like rigging or booth-capturing and similar other things which are very well known, of course, in this part of the country though not very unknown in other parts of the country as well. The biggest democracy of the world, that is, the sovereign, socialist, democratic Republic of India, has not witnessed for the last 25 years elections which were not debased by such features. Corruption is a very mild term, perhaps. It is a play of big money. We have a formal democracy—one man, one vote; but the exercise of that vote is in most cases not independent, not really representative. Therefore, while I endorse the amendment moved by Mr. Fernandes, I would, at the same time say that by this alone, we would not be able to free our electoral system from the innumerable deformities from which it suffers.

We are, no doubt, the biggest democracy in the world. But we are, perhaps, the weakest democracy with the most wretched deformity. This has to be admitted. Accordingly, remedial measures have to be taken. It is very difficult to say whether public funding of elections alone would solve the problem, considering the fact that in our country, there are really no independent authorities, authorities who can act independently, equitably and judiciously. No institution in the country is free from the taint of corruption, from the taint of wrong utilisation of powers, whether it is the Election Commission, whether it is the apex court in the country, or, the other agencies which are supposed to be independent agencies, Constitutional authorities. Of late, we saw, under what circumstances, the last Attorney-General had to vacate his office. We know that a case is pending against a Supreme Court judge. It is better not to speak about the Election Commission, as it is run today.

Under these overall circumstances, it would be too much to expect that only this

obligation, only this amendment to the Constitution, would serve as a magic wand to redress all the ills from which our electoral system suffers. Nevertheless, suggestions, so far as they go, I should say, are all to the good. Of course, it may not be possible to do everything at one stroke. But the most important thing is that people have to participate in the electoral process. We have seen, perhaps, never before more glaringly, more brightly, I should say, than in 1977, that when people were aroused, when they participated, when they considered the elections as a people's movement, so to say, the jolly oppressor had to beat a hasty retreat in his trail.

Now, we have not been able to sustain it. We have not been able to sustain this tempo of popular awakening. It may be because, none of us, in our practice and even in our profession, has been true to the democratic principles. I don't say that only this party or that party—whether it is the biggest party or the smallest party—is responsible for the electoral malpractices, for the rigging, for the booth-capturing, for the free play of muscle power, etc. All parties enjoy doing it. At best, or, at the worst, their explanation is 'when other people do it, what can we do? The picture is the same, whether it is the biggest party, i.e. the ruling party, at the present moment, or, the main opposition party—without any reflection on the Chair—or, my own party, or, the biggest party in my State, or, any other party. All of us are tainted that way.

Therefore, the process of rectification—of the use of a very pious word is permitted—of purification, should be started by one and all. Unless that can be done, this amendment would be not help that much. Even then, this is a small beginning and it may at times unleash the ways and means to achieve greater things. With that end in view, if the peoples' participation in elections is not just 25 per cent, 45 per cent or 50 per cent but 95 per cent, all the corruption in the electoral system will be a matter of history, a matter of the past. But do you want it? If we really want it, if the people who are playing the game of democracy within Parliament, within Assemblies and outside want it, let us join hands together,

let us take steps with a firm hand to eradicate these evils from our electoral system.

Therefore, I think Mr. Fernandes' amendment can be a small beginning and wholeheartedly support it.

If the Government is on the verge of accepting the amendment, let them bring forward an amendment on the basis of this and let them take the credit for making a small beginning towards electoral transformation.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunity. Though it is a simple amendment brought forward by hon. John Fernandes, it is an important amendment. In a democratic country people demand their rights. Fundamental Rights are already enshrined in our Constitution, but we forget our duties, whether they are in public life or in political life. We forget our duty towards our nation. This has been the practice for a long time. In a democratic country liberty, equality and fraternity ought to be respected in the political system and also in the electoral law with the passage of time circumstances have changed. The electoral laws which have been prevailing right from 1950 onwards need greater changes. Looking to the changed circumstances respective Central as well as State Governments have brought in certain legislations for free and fair elections, but in spite of that the political parties as a whole and an individual as a candidate in the election field try to flout those election laws. We have also seen how malpractices take place. Booth capturing, murder, money power, muscle power, are the under of the day and for this all political parties—I am not saying this or that party—have to be blamed. This is happening because the people of this country want that their candidate must be elected and come to power. In spite of all these electoral malpractices in our country, the will of the people has prevailed. This has been witnessed by us in various elections to Lok Sabha and to State Assemblies. Madam, the people, whether they are educated or not, whether they are the rural people or who have not even gone to the school, feel that going and

voting in the election is an insult to them. Madam, I will give you a small example ... (Interruptions) ...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सीणा जी, कृपया थोड़ा धीरे बोलें। जो सदस्य बात कर रहे हैं, वे थोड़ा धीरे बात करें। सदन में डिस्टर्बन्स है। दोबारा धीरे रहिए।

श्री विठ्ठलराव माधवराव बाबू (महाराष्ट्र) : मैडम, न बात करें, ऐसा कहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : नहीं, जो कर रहे हैं इतना करें कि आपस में सुन सकें।

श्री ईश बल बाबू (उत्तर प्रदेश) : आपके लिए नहीं है, नारायणसामी जी, आप तर्ज बोल सकते हैं। यह उनके लिए है।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam here, whether they are educated people or people in the villages or people who have not even gone to school, they feel that they have no fundamental duty to go to the polling booth, stand in the queue and vote in the election. But in the western countries we find that people feel it is their duty to go to the polling station and vote to elect their representatives. But here it is not the people who are uneducated alone who abstain. People who are officers and people who are highly educated feel that when they go and stand in the queue, their prestige is lowered down. This is the practice which is prevailing in this country. Not only this. People who opt for postal ballots do not cast their postal ballots. The officers who are drafted for election duty at the various stations, apply for and get postal ballots but they are not casting their postal ballots. So, this is the state of affairs here.

As far as I am concerned, I feel that the people of this country should be made to go to the polling station and vote for whichever candidate they want, just as they demand their fundamental rights like liberty, equality and fraternity.

Madam, here I will give a small example of the election expenses and the number of votes polled during the election to the 9th Lok Sabha. 49.8 crores was the total electorate for the Lok Sabha in 1989.

[Shri V. Narayanasamy]

Out of these, only 30.9 crores only had voted for the Parliamentary election. It means, about 19 crore people had not voted. In the 1991 Parliamentary election, the total electorate was 51.4 crores. But the figures have not come about the total number of persons who had voted in the election to the 10th Lok Sabha. I think more than one-third of the total voters had not exercised their franchise in this.

When we go through the statistics, as far as the election expenses are concerned, including revision of the voters' lists in our country for the 9th Lok Sabha election we find that the Government had spent about Rs. 98 crores for conducting this election. Rs. 14.5 crores were spent on the preparation of the electoral rolls. So, the Government is spending so much money in our democratic system for the purpose of conducting free and fair elections but we find lack of interest on the part of the people of this country in going to the polling station and exercising their franchise.

That only educated people are going to vote and uneducated and rural people are not going to vote is not the case. I have the experience of being an election agent for one of the Members of Parliament of my State. There, in one village alone, 98 per cent votes had been polled. In the villages people come in large numbers to exercise their franchise, the reason being that they consider election day as auspicious for them. They feel that they are electing their representatives. But, if we take the case of town limits, in no State does the polling exceed 40 per cent, 38 per cent to 40 per cent. In the morning in the town limits the voters will not come to the polling station. The polling stations will empty. The people come only after three o'clock. The voters can be seen only for two, three hours. Then the voting will be over. Therefore, in the urban limits the voting patterns in all the States differs this way compared to the rural limits.

Another aspect is that the people who want to vote in elections, both in the urban areas and in the rural areas, supposing there are four candidates, will not go to the polling station to vote. They will wait for the candidates' agents to go to them

and request them on the day of the election, inspite of the electioneering by the candidates concerned.

Not only that, but I have a bitter experience of meeting the people who went to the extent of even asking, "The other candidate has given this much amount. Why has your candidate not given this amount? Therefore, I am not going to vote." That tendency is there among the people who have enrolled themselves as voters in various constituencies.

On the other hand, impersonation is there. There are a large number of people who have become professional voters. I know personally one individual voted 30 times in a single day in various polling stations. Impersonation has become a common phenomenon. Apart from rigging, scaring the voters away, apart from all these things, impersonation has become a common phenomenon in our election process. 9 fine suggestion has been given by Hari Singhji. Multi-purpose identity cards have to be given to all the citizens of the country. The persons who are eligible to vote, should carry their identity cards, and they should go to the polling station and exercise their franchise. By this we can at least minimise the impersonation, the money power and the muscle power in the election process in our country.

Madam, another peculiar aspect is that, supposing the voters of a constituency have received money from a candidate who has been elected, when a voter goes to him for the purpose of some public work, for solving the problems of the constituency, the elected representative says very frankly to him, "You have not voted for me freely. Therefore, I need not oblige you." Therefore, this kind of corrupt practice should not be allowed. Though in the electoral laws provisions are there against corruption, it is very difficult to establish, very difficult to prove that the voters were given money by the candidate or the candidate's agent.

Not only that, in our electoral system there is no fair play. We see only the negative side, and we do not see the positive side of the election process. We go by rules, but we do not see the realities. Even for registration of voters there is a lot of influence by various political parties including the party in power in the State.

I have had a bitter experience of the border areas between Tamil Nadu and my State. The people in these areas are voters in Pondicherry as well as in Tamil Nadu. What do they do? In Tamil Nadu an election takes place. After two months an election takes place in my place. They go and exercise their franchise in my State. When elections take place in Tamil Nadu, they exercise their franchise in that place also. They are tilting the balance. They are the persons who are the deciding factor in the election process in the border areas. They are Indian, but they should not misuse their right. Madam, what they do, they do in a very calculated manner. They register their names in their relatives' houses on the other side of the border. If you go for an enquiry or at the time of verification for revision of the electoral rolls if the officer concerned goes there and verifies it, they give the correct names of the persons who are from the areas in Tamil Nadu. They give the names of the persons as if they are residing in the Pondicherry State. They had been brought in large numbers on the day of polling and their duty was to cast their votes, get the money and go back to Tamil Nadu. Neither we can identify those persons that they are from Tamil Nadu nor we can prove that they are not residing in Pondicherry because they have got a fool-proof system. A number of people living there have got ration cards in our place. The persons who are in power are the persons who know the entire electoral system. They try to manipulate and see that those persons are the deciding factor for winning the elections in those particular constituencies.

As far as the Lok Sabha election expenses are concerned, the candidate has to give a declaration before the Election Commission that he had spent only Rs. 35,000. The declaration given by the candidate is accepted by the Election Commission. The candidates give vouchers for that which are all false. Right from the day a candidate is elected to the Lok Sabha or to the State Legislature he files a false affidavit, a false declaration before the Election Commission that the election expenses incurred by him in his constituency were only Rs. 35,000. So many affidavits and declarations have been filed by various candidates before the Election Commission. The permissible

limit is exceeded more than Rs. 48,000 or Rs. 49,000. But the candidates file the affidavits like that and the Election Commission accepts them. When the Election Commission is not verifying the veracity of the declaration given by the various candidates who have been elected, why should they ask for such declaration from the candidates? This is a mockery. The Election Commission is going by the rules and not seeing the reality. (*Time bell rings*)

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, it is my right to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Yes, it is your right but within rules and time.

SHRI V. NARAYANASAMY : On Private Members' day, I think, there is no time-limit fixed for a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : You have already taken sixteen minutes. There are so many other speakers who want to participate. Please try to conclude. We have time only up to 5 o'clock.

SHRI V. NARAYANASAMY : My Bill is also there. I am also more concerned about it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : That is what I am saying. If you want that your Bill should be taken up, then, it is all the more reason for you to conclude.

SHRI ISH DUTT YADAV : You have started from Pondicherry. When will you come to Delhi?

SHRI V. NARAYANASAMY : I am coming only to Delhi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : You try to conclude not just now but after three minutes. You have already taken 16 minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY : Skipping other points, I will confine myself only to the....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Only to the important ones.

SHRI V. NARAYANASAMY : Though the last point was not relevant for the purpose of this Bill..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Then, leave it. Take another one.

SHRI V. NARAYANASAMY : That is necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Then, speak relevant things.

SHRI V. NARAYANASAMY : I am not saying it is an irrelevant thing. The word 'irrelevant' has got a different meaning and the words 'not relevant' have got another meaning.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Okay, less relevant.

SHRI V. NARAYANASAMY : Delimitation is an important thing and all the political parties are very much concerned about it. Candidates are getting elected from the reserved constituencies for more than 20 or 25 years. Those constituencies have been earmarked for them. Now all the political parties in the country want that there should be a delimitation of constituencies to be decided by a Commission. I can give an example. In Thane constituency in Bombay there are 19 lakhs of people and in Lakshadweep there are 35,000 voters. So there is a disparity. The delimitation of constituencies according to the voters' population and also changing the Scheduled Caste constituencies for the purpose of giving benefit to the people from the backward classes, the minorities and the Scheduled Castes from other constituencies should be done. Therefore, delimitation has to be done by the present Government. I think all the political parties will agree with me because it concerns the election process which all of them are feeling very much about.

With these words, I support the Constitution Amendment brought by the hon. Member, Mr. Fernandes. Thank you.

श्री ईश बत्त यादव : सहोदया, श्री फर्नांडिस ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है सर्व-प्रथम मैं इसका समर्थन करता हूँ। यह

संशोधन आवश्यक है परन्तु बहुत साधारण है। सरकार के कानून राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, अगर ये आज ही इसे स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। इनकी तरफ से यही आश्वासन दिया जाएगा अंत में कि सरकार इस पर विचार करके विधेयक ले आएगी लेकिन महोदया, इस सदन में और लोकसभा में और पूरे देश में इस पर बहुत बार बहस चल चुकी है कि इस देश का जो चुनाव का कानून है, इलेक्शन ला है, यह बहुत दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। इसमें अनेक गलतियाँ होती हैं और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमारे पूर्व बक्ताओं ने कहा कि कानून डिफैक्टिव होने के कारण चुनाव में वंशमानी होती है, भ्रष्टाचार होता है, फजी मतदान होता है, बूथ कब्जेरिंग होती है और पैसे और ताकत के बल पर चुनाव लोग जीत जाते हैं। चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं, चुनाव स्वतंत्र नहीं होते हैं। सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के लिए लोक प्रतिनिधित्व में संशोधन करने के लिए सरकार की तरफ से कोई बिजुल जाएगा।

महोदया, मुझे याद है, जब माननीय लाल-कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के सदस्य थे तो उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से और दृढ़ विवक्षतापूर्ण ढंग से उठाया था लेकिन तब से लेकर आज तक सरकार ने चुनावों के संबंध में, चुनावों की प्रक्रिया के संबंध में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया। मैं समझता हूँ कि सरकार की इच्छा भी नहीं लगती, उनमें इच्छा शक्ति भी नहीं है और विवेक का तो पूर्णतया अभाव है। कानून मंत्री कोई है नहीं... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : कानून मंत्री तो सदन में बैठे हैं।

श्री ईश बत्त यादव : मैं फिर दोहरा रहा हूँ। इस देश में कानून मंत्री कोई नहीं है। यह राज्य मंत्री कानून के अभी-अभी पदार्पण किए हैं। यह प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। परन्तु अगर वे एक पूर्ण अधिकार संपन्न कैबिनेट ला मिनिस्टर बना दें तो जो इस सबकी गंभीरता में जाता तो अच्छा होता।

महोदया, देश में जिसनी शासन प्रणाली है, सबके बारे में कहा जाता है कि सभी दोषपूर्ण है लेकिन जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, यह प्रणाली सबसे कम दोषपूर्ण है। हमारी देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है लेकिन इस देश में जो चुनावों की पद्धति है, यह पद्धति बहुत ही दोषपूर्ण होने के कारण स्वतंत्र सरकार और बहुमत की सरकार इस देश में नहीं बन पाती है और मैं समझता हूँ कि इसी नीयत से संविधान में संशोधन करने के लिए फर्नीटिस जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

महोदया, आपका स्मरण होगा, कुछ वर्ष पूर्व असम में चुनाव हुए थे, 115 वोट पाने वाले लोग न केवल एम.एन.ए. चुने गए थे बल्कि सरकार में भी थे और अगर आज पूरे देश की स्थिति को देखा जाए तो पूरे देश में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चाहे वह लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा का हो, वहाँ केस 50 या 60 प्रतिशत मत पड़ते हैं और पूरे मतदाता जितने हैं उनके 50 या 60 प्रतिशत मत पड़ते हैं और जो मत पड़ते हैं उन्हीं मतों में जो बहुमत का होता है वह जीतता है और पूरे देश का अगर टोटल किया जाए, योब निकाला जाए, महायोग निकाला जाए तो 50 प्रतिशत से कम मत पाने वाली पार्टी की सरकार हो जाती है चाहे कहीं भी सरकार बने, प्रदेश में बने, देश में बने, केन्द्र में बने। लेकिन अगर मतदाता की दृष्टि से प्रतिशत निकाला जाए तो हमेशा सरकार 50 प्रतिशत से नीचे के वोटों पर बनती है। जब 50 प्रतिशत से नीचे की बनती है तो यह बहुमत की सरकार नहीं कही जा सकती है, काबज तो कही जाती है, लेकिन मेरी राय में वह बहुमत की सरकार नहीं है। इसलिए संविधान में संशोधन आवश्यक रूप से होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि मतदाताओं को प्रतिरक्षित किया जाए। हम राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं हमारी कुछ जिम्मेदारी है लेकिन हमसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है कि इस की व्यवस्था करे ताकि निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र रूप से मतदान तो हो ही प्रत्येक मतदाता की मसखान में रख हो और वह अपना नैतिक और

संवैधानिक कर्तव्य सबको कि हमें मतदान करना आवश्यक है, निष्पक्ष ढंग से मतदान करना आवश्यक है।

महोदया, आपको भी व्यक्तिगत अनुभव होगा कि बहुत से लोग मतदान करने नहीं जाते हैं और अगर हम मतदान करने नहीं जाते हैं तो अधिकतर फर्जी वोट डाल दिए जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि किसी मतदान केन्द्र पर 90 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हो जाए तो वहाँ दावा मतदान होना चाहिए। इसके पीछे भावना क्या है? भावना यह है कि 90 प्रतिशत कभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह व्यवस्था है और सरकार भी महसूस करती है कि यहाँ मतदान होना आवश्यक है। अगर यह संशोधन नहीं होगा तो देश का जो प्रजातंत्र है वह दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा। प्रजातंत्र के प्रति लोगों के अंदर न जिज्ञासा रह गई है न आस्था रह गई है। नासयपस्वामी जी जैसे कह रहे थे जो रिजर्व कांस्टीट्यूटेंसी है जो सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ 25-30 पैसेंट से ऊपर मतदान कभी नहीं हुआ है। यदि टोटल मतदाताओं की राय निकाली जाए तो 10 प्रतिशत का वह अधिक प्रतिनिधित्व करता है। अब 10 प्रतिशत वोट पाकर कोई प्रतिनिधित्व करता है जो वह कहाँ तक सही है?

महोदया, 1974 में डिलिमिटेशन किया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक सरकार ने डिलिमिटेशन नहीं कराया। चुनाव आयुक्त जो पहले थे शकधर साहब, मैंने सभा-चार-पत्रों में पढ़ा था कि उन्होंने सरकार को सूझा दिया था कि रिजर्व कांस्टीट्यूटेंसी, जो सुरक्षित क्षेत्र है इसकी सरकार तत्काल डिलिमिटेशन घोषित कर दे और इनके बदले में दूसरी कांस्टीट्यूटेंसी या चुनाव क्षेत्र को तलाश कर ले क्योंकि जो क्षेत्र 10 या 20 साल तक रिजर्व रहे हैं वहाँ के मतदाताओं में प्रजातंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं है। जो चुनाव लड़ना चाहते थे उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसके कारण शकधर साहब ने गिनाए थे और मैं समझता हूँ कि जब शकधर साहब निवर्तमान हुए थे अपने पक्ष से उससे कुछ पहले उन्होंने यह कहा था लेकिन सरकार के प्रधान मंत्री को विचार करने

[श्री ईश बस यादव]

के लिए फुरसत नहीं, कानून मंत्री इस सदन में रहेगा नहीं, राज्य मंत्री हमारी बात सुनेंगे नहीं और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अंत में अनुरोध करेंगे फर्नीडिस साहब से कि अपने बिल को वापस ले लीजिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फर्नीडिस साहब का जो विधेयक है उसको स्वीकार कर लें। मैं आपके माध्यम से पूनः सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस देश में बहुत बहस चल चुकी है, इस संसद के अंदर और संसद के बाहर भी बहस चल चुकी है। सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि इस देश की जो चुनाव प्रणाली है वह दोषपूर्ण है और चुनाव प्रणाली को दोषपूर्ण होने से सरकार बनती है और बिगड़ती है। इसलिए मैं दहरा रहा हूं और आपसे कर-बद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि इस सत्र में और अगर इस सत्र में सम्भव न हो सके तो मा-तीय राज्य मंत्री जी जो कानून के हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि साहस करीं और अगले सत्र में जामल-बूल परिवर्तन करके एक बिल सदन में लाइयें। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति हृदय से अभार प्रकट करता हूं।

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana) : Madam Chairperson, the proposal for amendment to the Constitution items out of the concern that there is a growing feeling in recent years that every voter obliges a contesting candidate or a political party and does not treat it as a part of his duty to strengthen the democratic process of the country. The feeling or the spirit behind this amendment is unquestionably very, very good and I think all sections of the House are supporting this. Many of the points which I wanted to raise have, in fact, been raised by other Members and I would not like to repeat them. I would like to point out one issue. After all, who is responsible for generating this feeling in the minds and hearts of the voters that they are obliging a candidate or they are obliging a party and not discharging their duty? It is we, the political parties of this country, the political leaders, the people and the candidates who have generated these feelings in the hearts of the voters. At the time of every election all the political parties make tall promises, not for a common good, to develop certain areas or certain parts of the country and initiate certain

programmes and we offer so many inducements to the voters. I need not elaborate them. A few years back there was a political leader of a political party in some region of the country who offered to the people that all the loans they had taken would be written off if they voted for his political party. If such inducements, bribes are offered publicity through a programme of a political party, then what are the voters going to think? Similarly, when the individual candidates or voters go from house to house, meet and address people in groups, what will happen? In fact, people also come with individual *sifarish*. Many people ask, "If you are elected, will you get my son or some other family member employed? Will you do this or that?" You know, even in Delhi and many other towns a large number of illegally constructed localities are sanctioned overnight because the political parties or the candidates have to gather votes. Similarly, a large number of instances of all kinds of corrupt practices can be given. The point is that there is no substitute for an ideology, there is no substitute for a political programme. There is a lack of ideological commitment, ideological content in the minds of political parties or the political leaders. There is a lack of commitment to the nation, commitment to the people as a whole. On the other hand, politics has become a profession. We think that it is a very lucrative thing to be in politics because we can, by all means, do so much without investing a penny; we can do so much without having any qualification. So, this is something very unfortunate and *In toto* agree with what my friends, who has just concluded, has said. Mr. Narayana-samy has given very good reasons by telling us that one-third of the electorate of this country is not participating in the Assembly or the Parliament elections. This is the state of affair. So, I would like to say that the political parties should do an introspection. Where are we leading our country, our people for our very selfish and narrow interests? Why are we feeding our people on falsehoods, false promises and individual promises? And at what cost? At the cost of the total development of the country. We have wrecked the political system in the country through these processes. Therefore, I would like to make a suggestion as to what should be done.

I think a lot of instances have been cited here. You also know them, Madam. You are well versed in Haryana Politics. Meham is such an infamous name in connection with elections. How the election was thwarted there, how the electoral process was put to naught there and all kinds of malpractices were indulged in there, not once but more than once. Therefore, to avoid all kinds of bribery and to avoid the present exploitation of castes and religions and all other sorts of malpractices what we have to do is to replace the present geographical constituency system by a system known as the 'List System'. All of you know very well that in the List System there are no definite geographical constituencies like in this country. In such a system of Parliament there will not be North Bombay, South Bombay, Jalandhar, Amritsar or Lucknow constituencies. The Indian Parliament or the country will be a 540 multi-Member constituency. When the general elections come the political parties will file a list containing the names of their candidates. The list of the number of candidates they want to put up will be filed before the Electoral Officer or the Chief Election Commissioner or anybody who may be appointed for that purpose. The votes will be cast throughout the country through polling booths on party symbols. Ultimately the total number of votes which are given to a party or cast in favour of a party will determine the number of candidates of that party who are in the list, say, from serial Nos. 1 to 100 or 200 or 300 or 500 or 540, whatever may be the number of the candidates of the party, and they will be declared elected. In this process candidates are not going to take recourse to casteism, religion, bribery, booth-capturing, offering false promises, etc. I think we can ward off most of the present evils by adopting this system. Thank you very much.

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : महोदया, हमारे मित्र फर्नांडीज साहब ने जो संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है वह स्वागत योग्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ एक मत की प्रणाली है, एक वोट, एक मत और उसके आधार पर हमारे सारे चुनाव सम्पन्न होते हैं। बाजबूती के पहले यह अधिकार हमारे सभी नागरिकों

को नहीं था। परोक्षित रिप्रेजेंटेशन था। कभी सम्पत्ति के नाम पर या कभी स्टेटस के नाम पर लोगों को वोटर बनाया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बख्त संविधान के लागू होने पर हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जिस समय इस पर कांस्टिट्यूट असंबली में चर्चा हो रही थी, उस समय भी लोगों के मन में तरह-तरह की संकाये थी कि क्या एक बड़े और एक पढ़े-लिखे आदमी को एक तराजू पर रखा जा सकता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने और धासकर डा. अम्बेडकर ने इस बात को जोर देकर कहा कि एक वोटर और एक मत यह अवश्य प्राप्त होना चाहिये, जिसको एडल्ट फ्रैंचाइज हम कहते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है और यह हमारे संविधान और हमारे नागरिकों की मूल्य निधि है जिसमें सर्वोच्च सत्ता पर, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ नागरिक और उसके मातहत निम्न सरकारी कर्मचारी भी, वोट देने के मामले में बराबर हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है। यह हमारी मूल्य निधि है और इसको जारी रखना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

हमारे मित्र फर्नांडीज साहब ने यह प्रस्ताव किया है कि हमारे हर एक नागरिक को जो वोट देने का राइट है उसके वोट देने के लिये बाध्य किया जाये। मान्यवर, इसमें विवशता है। हम यदि इसे कम्पलसरी करते हैं कि सब को वोट देना जरूरी है तो वोटर्स कई तरह की श्रृंखलों में होते हैं। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति मतदाता हो जाता है और 80-90 साल का व्यक्ति चाहें वह अपाहिज हो, लूला हो, लंगड़ा हो वह वोट देने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे लोगों को यदि वोट देने के लिये बाध्य किया जाये तो इसका क्या हृष होगा इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जब वोट का समय जाता है तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं या कुछ लोग किसी मजदूरीवश वोट देने में सक्षम नहीं होते। मुझे फ्रैंचाइज का एक किस्सा अच्छी तरह से याद है। वहाँ पर एक मरीब घर में मौत हो गयी थी। उसके घर के लोग रो रहे थे। लेकिन वहाँ का कांस्टेबल कंडीजेंट जो कि जवाबदार

टाइप का था। अत्याचारी था, उसके लोग वहाँ पर डंडा पटकर कहने लगे कि पहले वोट दो फिर आकर रोना। उनको वहाँ ले जाया गया, मतदान स्थल पर, और उनको वोट दिलवाया गया और फिर वे रातों हुए घर पर गये और फिर उसका क्रियाकर्म किया। अगर कम्पलसरी मतदान का तरीका यह होगा तो इसका हथ्र क्या होगा, इस पर भी गौर करने की जरूरत है।

दूसरा जब कम्पलसरी मतदान करने की बात आती है तो जो उम्मादवार मत प्राप्त करता है उसको भी यह रय करना होगा कि न्यूनतम कितने वोट प्राप्त करके वह विजयी घोषित हो अन्यथा यह बेमानी हो जायेगा और कम्पलसरी वोट देने का मकसद डिफीट हो जायेगा।

जहाँ तक वूथ केप्चरिंग या इलेक्शन में वित्तियमितताओं, बुराइयों की बात है, यह कानून के माध्यम से नहीं है बल्कि कुछ लोग अपने बाहुबल के जरिये और कुछ लोग अपने दिमाग के जरिये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो जेनरेशन वोटर्स हैं वे रह जाते हैं और उनके नाम पर फर्जी मतदान हो जाता है। यह चीज काफी ज़ोरों से फैली हुई है। इसको रोकना बहुत आवश्यक है। अन्यथा सही वोटर्स अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जायेंगे। इसलिए ये जो बुराइयाँ फैली हुई हैं इनको कानून के माध्यम से दूर कीजिए।

एक और बात की ओर मैं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सारी बुराइयों की जड़ फर्जी मतदान है। इसके लिये आवश्यक है कि सारे ज़िल्ले भी वोटर्स हैं सब के पास उनके फोटो जरूर रहने चाहिए, उनके पास आइडेंटि कार्ड, पहचान-पत्र रहना चाहिए। इससे फर्जी मतदान करने से रोक जा सकता है, यही इसका इलाज है और इसी से हम इसको सही ढंग से दूर कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

4.00 P.M.

श्री मूलबन्ध कीणा (राजस्थान) : मेडम, जान एफ. फर्नीडीज जी जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव लाए हैं, उनकी मंशा एक

बच्छी मंशा है। वे संविधान के अनुच्छेद 51 के अन्दर संशोधन प्रस्ताव लाए हैं। देश की आजादी के समय इस देश के महापुरुषों ने यह सोचा कि देश के अन्दर देश की शासन प्रणाली लोकतंत्र के माध्यम से चलाई जाए। इस देश का शासन और विकास लोकतंत्र के माध्यम से हो। जो लोग लोकतंत्र कायम करना चाहते थे उनकी मंशा यह थी कि इस देश के हर नागरिक को मत देने का अधिकार मिले और वह स्वतंत्र हो कर के अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन वर्तमान चुनाव प्रणाली जो हमारे देश के अन्दर लागू है या तो इसके अन्दर दाँप है या हमारे राजनीतिक दलों के अन्दर दाँप है या कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो इस लोकतंत्र के माध्यम से ऐसी संस्थाओं में चुन कर आने लग गये हैं उनका दाँप है। यह सारी चुनाव प्रणाली हमें दाँपपूर्ण महसूस होती है। हमारे देश के महापुरुषों की यह भावना थी कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं जैसे संसद है, राज्यों की विधान सभाएँ हैं और जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ हैं, इनमें जितने भी लोग चुन कर आए उनकी यह भावना हो कि हम देश की सेवा करें। लेकिन 50 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो देश की सेवा की भावना से आते हैं। आज इस चुनाव प्रणाली ने यह भावना पैदा की है कि लोग धंधे की बजह से राजनीति में आते हैं। देश में चुनाव इतना खर्चीला हो गया है। हम यह देखते हैं कि चुनाव के अन्दर लोग 10-10, 15-15 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इतना पैसा कहाँ से आता है? कौन लोग इतना पैसा खर्च करते हैं? ऐसे लोग हैं जो गुंडागर्दी के बल पर, लाठी के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। वूथ केप्चरिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। देश के संविधान के अन्दर मत का अधिकार दिया गया है लेकिन प्रलोभन देने की बात कहीं नहीं कही गई है। हमारी चुनाव प्रणाली के अन्दर धर्म और जाति वर्ग के आधार पर वोट ले कर कुछ लोग इस देश की चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जान फर्नीडीस साहब जिस भावना से इस प्रस्ताव को लाए हैं आप इस पर आधारित एक बड़ा

संशोधन लाएँ और सारी चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार करें जिससे इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। दुनिया की निगाह हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की ऊपर है। हमारा इतना विशाल देश है। हमें संविधान के तहत मत देने का अधिकार मिला हुआ है लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो लोगों को इस अधिकार का प्रयोग नहीं करने देते हैं। आपको चुनाव के अन्दर ऐसी ऐसी घटनाएँ मिलेंगी कि एक ही आदमी बूथ पर बैठ जाता है, 10 आदमी उसके साथ हाँते हैं और वही सारे बूथ के वोट डाल देते हैं। शैंड्यूल्ड कास्ट और शैंड्यूल्ड ट्राइब्स तथा गरीबों को लाठी वाले लोग वोट नहीं डालने देते हैं।

कैसे है यह चुनाव प्रणाली जिसमें कि इस देश के नागरिक को जो अधिकार दिया हुआ है उसका पालन नहीं हो सकता। और तो और मंत्री जी, जबकी बार के चुनाव की तो कहानी अलग है। राजस्थान का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि तीन लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, जिनके अंदर जितने वोट पड़े उससे कर्नाटिका के अंदर 40-50 हजार वोट ज्यादा निकले थे। जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ आपका कि जयपुर के अंदर वोट जो गिरे थे वे बताएँ गये थे 5,54,679 और रिजल्ट जब घोषित किया तो कर्नाटिका हुई थी 5,92,349 वोटों की। प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव की घोषणा कर दी। अब कोर्ट के अंदर चक्कर लगायें वे प्रत्याशी जो खड़े हुए थे। कोर्ट के अंदर पाँच साल तक इसका निर्णय नहीं होने वाला है। कैसे चुनाव है? कैसे प्रक्रिया है चुनाव की? मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। एक तो जिसके खिलाफ चुनाव याचिका हो उसका फंसला साल भर के अंदर हो, निश्चित ही है जिससे जो गड़बड़ करने वाला कैंडीडेट है उसको महसूस हो।

1989 के लोक सभा चुनाव का ही, राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का था जिसने 41 बूथ कैप्चर किए, अकेले ने। सब 6 बजे से बूथ कैप्चर करने लगा और रात के आठ बजे तक बूथ कैप्चर करता रहा और जिसके खिलाफ 41 जगह एफ. आई. आर. दर्ज हुई लेकिन वह तो चुनाव जीत गया। उसके बाद उन एफ. आई. आर. का पता नहीं क्या हुआ। आज जब हम चुनाव प्रणाली के अंदर इस बात को लेते हैं और मैं इसके लिए मुख्य दोषी राजनीतिक दलों को बानसा हूँ। आज इस देश का माहौल वोट की खातिर ही तो सराबोर रहा है। है क्या राम मन्दिर, क्या है मंडल। सब वोट की खातिर है। वोट का प्रलोभन ही आज देश की एकता और अखंडता के लिए सतरा बना हुआ है। ऐसी क्षेपण प्रणाली के खिलाफ संशोधन करिए। इसमें संशोधन करिये, सुधार करिये। जिससे इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम रह सके, देश अखंड रह सके।

राजस्थान का एक और उदाहरण देना चाहता हूँ जबकी लोगों को वोट का अधिकार मिला हुआ है। सरकार और कोई व्यक्ति कौन होता है जो उनका अधिकार को रोक सके। लेकिन राजस्थान का तो दुर्भाग्य है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि ग्राम पंचायतों को भंग किया गया। जो साम हो गये हैं लेकिन आज तक वहाँ पर ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं बल्कि गांव का जो कार्य सरपंच और पंचायतों के माध्यम से हो रहा है वह प्रशासनिक कर्मचारों कर रहे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपकी जो भी संस्थाएँ हैं चाहे लोकसभा है, चाहे आपकी विधान सभाएँ हैं, स्थानीय ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाएँ हैं इनके चुनाव निश्चित समय पर होने चाहिए। यह आपको तय करना पड़ेगा।

आज जब हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो कई लोगों में इस प्रकार की नाराजगी मिलती है कि इस क्षेत्र में एक ही जाति या वर्ग विशेष का आदमी चुनाव लड़ता है और वही चुनाव जीतता है। इसलिए आज आवश्यकता है परीसीमन की। परीसीमन भी आप करें तो इस प्रकार करें कि जो कांस्टीट्यूंसीज रिजर्व रही हैं पहले से या जो कांस्टीट्यूंसीज जरूर रही हैं पहले से और कमजोर वर्ग के लोगों को उसमें कभी चुनाव लड़ने का मौका, जीतने का मौका नहीं मिला तो उनका परिवर्तन जरूर करें आप। जहाँ कोई

आज जब हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो कई लोगों में इस प्रकार की नाराजगी मिलती है कि इस क्षेत्र में एक ही जाति या वर्ग विशेष का आदमी चुनाव लड़ता है और वही चुनाव जीतता है। इसलिए आज आवश्यकता है परीसीमन की। परीसीमन भी आप करें तो इस प्रकार करें कि जो कांस्टीट्यूंसीज रिजर्व रही हैं पहले से या जो कांस्टीट्यूंसीज जरूर रही हैं पहले से और कमजोर वर्ग के लोगों को उसमें कभी चुनाव लड़ने का मौका, जीतने का मौका नहीं मिला तो उनका परिवर्तन जरूर करें आप। जहाँ कोई

[श्री राम रतन राम]

शिड्यूल्ड कास्ट की कांस्टीट्यूंसी रही है और जनरल की रही है तो शिड्यूल्ड ट्राइब की कांस्टीट्यूंसी बने और शिड्यूल्ड ट्राइब की कांस्टीट्यूंसी रही है या जनरल की रही है तो वहाँ शिड्यूल्ड कास्ट की बने और चुनाव लड़ने का तब तो वह महसूस करेंगे रही है वह जनरल कांस्टीट्यूंसी बने तब तो लोगों को यह महसूस होगा कि हमें जो अधिकार मिला है चुनाव में मत देने का और चुनाव लड़ने का तो वह महसूस करेंगे कि हमका अधिकार मिला है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं।

साथ ही आज बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो चुनाव प्रक्रिया का जो झूठा हुआ है, वहाँ पर यह कहते हैं, सुनने में यह आता है कि आज चुनाव के लिए गुंडों को खरीदा जाता है, गुंडों को तय किया जाता है कि इतने वोट तुम फर्जी डाल दोगे। इसके लिए पैसा दिया जाता है।

आज विधान सभा, लोक सभा के अंदर ज्यादातर तत्व के लोग चुन कर के आने लगे गये हैं। भले आदमी तो चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
मीणा जी, * की जगह सामाजिक शब्द प्रयोग करें। यह असंसदीय शब्द है।

श्री मूलचन्द मीणा : ऐसे असामाजिक तत्वों के सामने तो भला आदमी, सज्जन आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता है कि लोगों के वोट तो पड़ते नहीं हैं, लोग वोट डालते नहीं और भले आदमियों की तो, आने वाले चुनावों के अंदर अगर यह प्रक्रिया चलती रही, तो चुनाव लड़ने के लिए भला आदमी कभी तैयार नहीं होगा।

श्री जान एफ. फर्नांडिस जी की भावना से मैं अपने आपका जोड़ता हुआ, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप एक संशोधन लायें और सम्पूर्ण जो चुनाव प्रक्रिया है, उसके अंदर सुधार करें।

जय हिन्द ।

*Expunged as ordered by the Chair.

*SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) :
Madam Vice-Chairman, I rise to support the Constitution (Amendment) Bill, 1990 (to amend Article 51A) brought forward by my esteemed colleague Shri John. Fernandes in the august House. At the outset I would like to express my concern about the disinterestedness of the members in the business of this House. Had the proceedings of the House not been telecast the attendance in this House during this debate would have been still thinner. The Hon'ble Minister is present in the House, because he is bound to be here to reply to the debate.

Madam, if this is the attitude of the people's representatives towards Parliament, then how could we compel the voters to exercise their franchise. It is, of course very easy to make voting compulsory for the citizens of the country through a legislation. But I have grave doubts about its practicability and implementation. It is very unfortunate that we are misusing democracy for our personal benefits and also for the benefit of the political parties. I have serious doubts about the acceptability of the Act, which is proposed through this Constitution amendment bill.

Madam, I don't know how many of us have worked at the village level but I have worked in the rural area and I know the ground reality there. Many of my colleagues have directly made it to Parliament. They do not have any personal experience of the problems of the rural areas. I express this with regret that we have only cheated the people in the name of democracy. We have done absolutely nothing for strengthening democracy in our country. We have deprived of the genuine voters their right to cast their votes honestly. The arrangements for election are made in the meetings held in the collectorate.

Madam Vice-Chairman, you know how we politicians are responsible for manipulating the inconvenient placement of polling booths in these meetings for a particular village, because we know voters of that village do not support our party. Unfortunately the practice of interfering in

*English translation of the original speech made in Oriya.

the voter's list is also not new. The Party which remained in power for such a long period is responsible for perpetuating these types of electoral malpractices in the country. The party which is in power for more than forty years could hardly manage 35% of the total votes. The problem of "Mandir" and "Mandal" are recent, but the election malpractices are quite old. I blame only one political party for this situation, which is prevailing today.

I am to say that the Constitution amendment bill of my colleague Shri Fernandes, though a delayed step is most welcome one. It is always better late than never. Exercising our voting right honestly and fearlessly is one of the holy democratic duties of the citizens. I strongly deplore the recent trend of fighting elections on communal, religious and casteist lines. This leads to disharmony and animosity among the people of different communities. The honourable Minister of Law is present here. I am sure no Law Minister can bind the voting right of the people by an Act of Parliament.

Madam, one more unfortunate aspect of our democracy is that many literate people feel shy to exercise their voting right. The I.A.S. Officers, their wives and children feel it below their dignity to wait in a queue at the polling booth. In most cases the semi-literate and illiterate people are allured by money to cast votes. We politicians have neither time nor intention of telling the people the value of democracy. In many cases the voters are not aware of the names of the candidates fighting elections. They only know the election symbol of a particular party. This trend is really unfortunate. This is no democracy. This is a mockery of democracy. I don't blame any party or any individual. I blame the system which is responsible for this situation today. Slowly but steadily we are losing faith in Parliamentary form of democracy. In this context the present bill is no doubt laudable. If this bill is made an Act, I am sure the future generation will reap the benefit of a vibrant democracy. This bill proposes to make the involvement of the people in our democracy compulsory. The framers of our Constitution had high hopes and aspirations about the success of our democracy.

Before concluding I would like to remind my friend Mr. Meena, who referred to the explosive situation in U.P. Why should he selectively choose U.P. for the purpose of condemning a state government, which is run by B.J.P. I want to remind him of the situation in Andhra Pradesh. There are areas in Andhra Pradesh where there is complete chaos and anarchy. The law and order situation in some places of the State are very bad. We should point out the mistakes of the state government irrespective of the political party which is in the helm of affairs.

I once again support the bill brought forward by my friend Shri John. F. Fernandes. Thanking you.

श्री विजयनारायण नाथवरण नाथवरण (महाराष्ट्र) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे मित्र श्री जान फर्नांडिस जो यह विधेयक लाए हैं, उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो हमारे संविधान का अनुच्छेद-51(ए) है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में कानून बन है जिसके कि अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, उन्होंने इलेक्शन के बारे में और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो कानून बनाए हैं, अब जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है वैसे-वैसे उसके विचार बदलते जाते हैं। तो उस वक्त जब संविधान बना तब हमारे देश के सामने आंदोलन से आए हुए, महात्मा गांधी के विचारों से पले हुए सारे नेतागण थे और वहाँ देशभक्ति का सवाल ही नहीं पैदा होता था।

मगर जैसे-जैसे राष्ट्र का जीवन बढ़ता गया, कठिनाई और जटिल समस्याएँ हमारे सामने आती गईं तो वैसे-वैसे ही राष्ट्र का जीवन ज्यादा से ज्यादा विनाश की तरफ बढ़ता गया। मैं इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी नहीं मानता। हमारी यह राजकीय प्रक्रिया, या सिद्धान्त की बातें ही कुछ ऐसी हैं कि जो बादगी को अच्छाई से बराबर की तरफ ले जाती हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैं कई प्रांतों में गया हूँ, विशेषतया बिहार में मैं निरीक्षक के रूप में गया था और देखा, वहाँ हर एक राजनीतिक पार्टी जो पैदा हुई करती थी वह शस्त्र-शस्त्र के शरीरों पर खर्च करती थी। जब यह

[श्री बिठठलराय माधवराय जाधव]

शस्त्र क्यों चाहिए ? बुध-कैप्टरिंग के लिए शस्त्र चाहिए । जिसके पास ज्यादा शस्त्र हैं, जिसके पास शस्त्र चलाने वाला मानव-बल ज्यादा है वही चुनकर आ सकता है, आज ऐसी भावना है । तो इस प्रक्रिया को हमें बदलना है ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यहाँ तक जन-तांत्रिक राज-पद्धति का सवाल है, उसका बुनियादी ढांचा है चुनाव । इस चुनाव प्रक्रिया से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं । मगर, आज चुनाव प्रक्रिया का पतन इतना तेजी से हुआ है कि पंजा, गुजराती और बहुत सी बुरी बातें चुनाव में आने लगी हैं । इससे जो सही आदमी है, जो सही सोचने वाला आदमी है वह पीछे रह गया है । बहुत से ऐसे एलीमेंट्स, बहुत से ऐसे लोग आगे आए, जिनसे हमारे देश को कुछ फायदा होने की बजाय ज्यादा हानि हुई ।

महोदया, यहाँ मेरे मित्र भारद्वाज साहब बैठे हैं । यह कानून के परिणित हैं और विचारों से सुश्रेष्ठ हैं । हम दोनों साथ आए हैं राज्य सभा में । वह जानते हैं कि इस समाज में क्या-क्या बुराईयाँ हैं । हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू हुए, उसके बाद लाल बहादूर शास्त्री, इन्दिरा गांधी और यहाँ तक मोरारजी देसाई तक के कार्यकाल में हमारे देश की ऐसी हालत थी कि ये सारे नेतागण स्वातंत्रता आंदोलन से आए थे और देश के प्रति उनका इतना योगदान था कि देश और यह नेतागण एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे । मगर, जैसे-जैसे समय बदलता गया, एक नयी पीढ़ी आने लगी राजनीति में और उस नई पीढ़ी के आने के बाद नए सिद्धांत राजनीति में आने लगे । आज यह बहुत जरूरी हो चुका है कि अगर इस डेमोक्रेसी को, इस जम्हूरियत को मजबूत बनाना है तो हमको खुद हमारी चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे मित्र जान फ्लीडिश ने यह बिल तो छोटा सा लाया है,

मगर एक महत्वपूर्ण विचार इस सदन के सामने रखा है कि अगर इस देश को जीना है, अगर इस देश को सम्मान के साथ जीना है तो हमारे देश की जो जम्हूरियत है, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको हमें मजबूत बनाना है । अगर हमारी जम्हूरियत की मजबूत बनाना है तो उसके बारे में जो भी कमियाँ हैं इस चुनाव प्रणाली में या जो हमारा सिस्टम है उसमें, तो उसमें संशोधन करना है, उसके बदलना है, उसके समाप्त करना है । इस दृष्टि से इस बिल का बहुत महत्व है ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, महाराष्ट्र से, नंदेड़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा और मैं एक तालुके का रहने वाला, मुखंड उसका नाम है, यह तालुका सन् 1952 से 1992 तक रिजर्व कंस्टीट्यून्सी है और आज तक वह बदला नहीं है । हमारे लोगों ने काफी दफे आवाज उठाई कि भाई, यह चालीस साल से रिजर्व कंस्टीट्यून्सी है मुखंड, इसको बदला जाए । जो ऊपर के नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर इसको उठाया गया तो कोई बहुत तेज नेता हमारे में से आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप को चैलेंज करेंगे । यह उनके दिल और दिमाग का डर है । जिस इन्सान के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है वह किसी से डरता नहीं है, मगर ऐसे भी कुछ बुराबिल लोग राजनीति में आगे आते हैं कि हमेशा लोगों की भावनाओं को दबाते चलते आते हैं ।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, उपसभाध्यक्ष महोदया, बहुत सी कंस्टीट्यून्सी हैं, चाहे विधानसभा की है या लोकसभा की है, आजारी से लेकर आज तक वह रिजर्व है । वहाँ के लोगों को काम करने में कोई इंटरैस्ट नहीं आता है । वहाँ की समस्याएँ वैसे पिछड़ी हुई समस्याएँ हैं, जैसे पिछड़े हुए सदस्य आते हैं और उन पिछड़े हुए सदस्यों को डिक्लेट करने वाला ऊपर बैठा हुआ बास कोई अलग होता है जो कहता है कि अरे भाई, वहाँ वोट देकर आओ और वह वोट देकर आता है । मैं तो ग्राम से आता हूँ, कितने ऐसी ग्राम पंचायत मैं आपको दिखाऊँ कि ग्राम पंचायत का सरपंच एक अपनी जिंदगी में वही

संरक्षित रहता है। वह कभी हटता नहीं या कोई उसको हटा ही नहीं सकता, यह जो प्रक्रिया है, इसको बदलना है। इसलिए मैंने यह सुझाव है मानववर मंत्री जी को कि कोई भी संरक्षित हो या जिला परिषद का अध्यक्ष हो या स्टेट का मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, देश का प्रधान मंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वह दो टर्म से ज्यादा उस पद पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग जिद्दी भर एक ही पद पर बैठे रहते हैं और दूसरे लोग जिद्दी भर उनको जय-जम्का करते रहते हैं। यह सिस्टम हमको बदलना है। अगर हम यह चंज अपनी चुनाव प्रक्रिया में और अपने लोक प्रतिनिधित्व में ला सकें तो मैं समझता हूँ कि हमारा आर्थी से ज्यादा काम सफल हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि हमारे यहां 25-30 पार्टियां हैं। अगर आप लोक सभा या राज्य सभा की किताब निकाल कर देखें तो 15-20 पार्टियां तो ऐसी हैं कि जिसका एक मेंबर है, किसी के दो मेंबर किसी के चार मेंबर हैं, दुनिया के किसी भी राष्ट्र में इतनी पार्टियां नहीं हैं। तो इसके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। मैं भारद्वाज साहब से अनुरोध करता हूँ कि जितनी कोटिंग होती है उसका 25 या 30 प्रतिशत तक कोटिंग जिस पार्टी को मिलता है, उस पार्टी को आप रिकग्नाइज कीजिए और बाकी पार्टीज को डीरिक्नाइज कीजिए। इसके बारे में कोई कंस्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है नहीं तो यह जो है मशरूम प्रोथ, भूख की तरह यह निकलती रहती है पार्टियां। केलगाम में एक चुनाव हुआ था, आप जानती होंगी उपसभाध्यक्ष महोदय, कि वहां 262 कैंडिडेट सड़े थे। 262 candidates contested the elections in Belgaum constituency. मत-पत्रिका इतना बड़ी थी कि गोट देने वालों को खोजना पड़ता था कि मेरा कैंडिडेट कहां है, किसको मैं वोट दूँ। तो यह तो माकरी आफ दि डेमोक्रेसी है, हमें इसको स्टॉप देना है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि यह जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़े रहते हैं इसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। दो, तृतीय, चार, जो भी पोलिटिकल पार्टियां

हों, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए on the basis of percentage of voting और हमारे देश में अगर बहुत ही निरांगी और हल्की डेमोक्रेसी लाना है तो मैं यह कदम जल्दी से जल्दी उठाने की जरूरत समझता हूँ।

इसके बाद यह जो हमारी पब्लिस्टी है, जैसे कि नारायणसामी ने कहा और अन्य सदस्यों ने भी कहा कि एक लोक सभा का सदस्य 3,500 रुपये में चुनाव कैसे लड़ सकता है? असंभव है। 500 रुपये तो डिपॉजिट हो है, बाकी 3,000 में कैसे लड़ सकता है। गंज एक जीप को मोटरेन करने के लिए ही 3,000 रुपये खर्चा जाता है। जैसे डेढ़ लाख भी कम होता है सरकारी नियम के अनुसार, वैसे ही 3,000 भी फर्जी है और डेढ़ लाख भी फर्जी है। तो यह सिस्टम बदलना बहुत जरूरी है। जैसे कि अमेरिका में और अन्य देशों में चुनाव होते हैं, बैरिस नहीं लगते, कोई पोस्टर्स नहीं लगते, मीडिया ने चुनाव होते हैं, विचारों पे चुनाव होते हैं। जब पार्टीज को हमारे देश में चुनाव के लिए आना चाहिए तो अपना प्रोग्राम जनता के सामने रखना चाहिए, कोई कैंडिडेट सामने नहीं जाना चाहिए। पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीतने के बाद उसे कैंडिडेट का नाम देना चाहिए तो उस चुनाव प्रक्रिया में लोगों को इंटरैस्ट कम हो जाएगा और यही एक रास्ता है आगे पहुंचने का। तो मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने का समय आ चुका है। आप देख रहे होंगे, राज न्यूज पढ़ते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में दो एम. एल. ए. के बारे में "टाडा" को एडाप्ट किया है। वे लोग कैसे घुस जाते हैं? क्योंकि जिसके सब कुछ हाथ में रहता है, गुण्डागर्दी होती है, सब होता है, वही चुनाव जीत सकता है... (व्यवधान)... गुण्डा नहीं कहा है, मैंने गुण्डागर्दी कहा है, यह अनपार्लियामेंटरी नहीं है। तो गुण्डागर्दी करते हैं और सारी पावर हाथ में रखते हैं, चुनाव जीतने की ताकत उसी में होती है क्योंकि उसके खिलाफ वोट देने वाला पोलिंग बूथ तक जा ही नहीं सकता है। तो वहां अगर पार्टी के बेसिस पर चुनाव होता और अच्छे लोगों को हम वहां नामिनेट करते तो यह नतीजा नहीं आता। आप जानती हैं कि गुजरात से लेकर नीचे तक—गुजरात,

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र, उसके बाद कर्नाटक, पण्डिचेरी, यहां चुनाव के बारे में धांधलियां कभी सुनाई नहीं देती क्योंकि यहां चुनाव के बारे में पूरी डेमोक्रेसी है। अभी आन्ध्र में जो मंडिम कह रही थी कि नेक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है उसके बाद कुछ तनाव जरूर आया है, मगर हमारी चुनाव प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में भी कभी बूथ केवर्चिंग की बातें नहीं होती क्योंकि वह जो डेमोक्रेसी है, हमारी ग्राम पंचायत से लेकर गांव तक जो हमारा ढांचा तैयार हुआ है, उसमें ज्यादा धांधलियां नहीं होती हैं। धांधलियां जरूर होती हैं, मगर बहुत कम धांधलियां होती हैं। यह ऐसी धांधलियां होती हैं कि जैसे अगर अन-वान्टेड आदमी है तो 25-30 साल तक रिजर्व कर दिया और उसको वहीं मार दिया। यह सारी बातें होती हैं। मगर जहां तक चुनाव की बात होती है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। फिर भी उत्तर भारत में जो बूथ केवर्चिंग और यह सारी बातें होती हैं। तो जो यह बीमारी है, वह बीमारी का स्प्रेड, यह लागत हमारी तरफ नहीं होगी, यह कह नहीं सकते। अगर इसको समय पर समाप्त करना है तो यह बहुत जरूरी है, इसके बारे में गंभीरता से सोचें।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूँ। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जीवित थी तब इस देश के अंदर एक बहस चली थी। हमारे महाराष्ट्र के एक नेता—भूतपूर्व मंत्री बसंत साठे साहब ने एक बहस चलाई थी whether India wants Presidential form of Government or Prime Ministerial form of democracy.

उसके बारे में नेशनल बहस होने की जरूरत है। मंडिम ने भी कहा था कि अगर भारत की सारी जनता सोचे तो उसके बारे में हम जरूर कुछ फैसला कर सकते हैं। जहां तक मेरा स्थल है, अब वह समय आ चुका है। अगर प्रेजीडेंसियल फॉर्म आफ डेमोक्रेसी, जैसे अमेरिका में कोई भी पावरफुल प्रेजीडेंट यह सोचने लगा—रजिस्ट्रार से लेकर आइजनहावर, जान फर्नेंडी, जॉन्सन, उसके बाद निक्सन, जिमी कार्टर, रेगन और बुश,

कि उन्होंने एक इराक को बरबाद कर दिया, तो फिर भी अमेरिका के लोगों ने उसको हटा दिया, उसको गिरा दिया।

श्री बी. नारायणसामी : आज क्लिंटन आ रहा है।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हां, आज क्लिंटन आ रहा है। तो यह जो डेमोक्रेसी मजबूत बनी है उसका मतलब यह है कि वहां कोई भी प्रेजीडेंट दो टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर उसने कितनी भी बहादुरी की, कितने भी राष्ट्रों को मारा, बम्बोर्डिंग किया, तो यह जरूरी नहीं है कि वहां के लोगों को उसकी बातें पसंद आएँ। अमेरिका के लोगों ने यह दिखा दिया है कि इराक पर जब उन्होंने हमला किया, तो वह बात सच थी या झूठ थी, यह बात नहीं है। मगर जार्ज बुश को जिस तरीके से लोगों ने वहां धूल चटाई है उससे यह लगता है कि यही एक डेमोक्रेसी मजबूत है कि यहां कोई भी अन्याय से जी नहीं सकता और वैसी ही बात अगर करनी है तो मैं भी सोचता हूँ कि अगर प्रेजीडेंसियल फॉर्म आफ डेमोक्रेसी हमारे यहां हो गई और कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो ... (स्व-ध्यान)

चौधरी हरि सिंह : प्रेजीडेंट को मनी बहुत चाहिए। मनी वाला जीतता।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मनी क्यों?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आपस में बात नहीं, चौधरी साहब, आप बोल चुके हैं अपनी बात।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मनी की बात है नहीं, यह तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैंने तो पहले ही कहा, आपने सला नहीं पूरी तरह से।

SHRI V. NARAYANASAMY : He is referring to muscle power, money power.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : नहीं, वहां तो पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा और उसमें कोई खर्च करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध करना चाहिए। इसके बारे में एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। सारे देश के दिववानों के, किसानों के कामगारों के, कारखानेदारों के,

सारे के वोट अजमाकर इसके बारे में फैसला करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। उसके बाद मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो नया संशोधन लाएंगे उसमें पहली बात तो यह बतानी चाहिए—

under any circumstances no Prime Minister or President should remain in power for more than 2 terms or for more than a period of 10 years.

इसके बारे में कुछ करना जरूरी समझता हूँ और अभी कोई 10 साल रहने वाला भी नहीं है और आगे चलकर। उसके बाद यह बात तो सिर्फ प्रेजीडेंट और प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो। कोई-कोई चीफ मिनिस्टर 15-15, 20-20 साल बैठे रहे हैं अपनी सत्ता पर। वह भी दस साल से ज्यादा केरिअर चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। कोई मंत्री भी 10 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए।

एक सम्मानित सचिव : एम. पी. ?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : The same formula should apply to M.Ps also.

उपसभाध्यक्ष (धीमसी सुबहा स्वराज) : आप विषय का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : एम. पीज. और एम. एल.एज. की जो बात है वह आफिस के बॉनिफिसरीज नहीं होती। उसके लिए यह कानून एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।... (व्यवधान) मैं कानून बनाने वाला नहीं हूँ।

उपसभाध्यक्ष (धीमसी सुबहा स्वराज) : अब आप समाप्त कीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, people are electing the MLAs and MPs. They also come within the purview of this Bill.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर चाहता हूँ कि यह सारी जो सुझाए हमने दी है और मेरे मित्र जान फर्नांडिस जी जो यह विधेयक लाए हैं, उस पर भी बहुत लंबी-चौड़ी बहस होनी

चाहिए। सबनों के अंदर ही नहीं सदन के बाहर भी और इस पर नेशनल डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद इस देश की चुनाव प्रणाली कैसी हो और 51ए में क्या संशोधन लाया जाए, उसके बारे में बहुत चर्चा होकर, बहुत विचार होकर उसमें कोई संशोधन लाने का प्रयास करें। अपने इन विचारों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh) : Madam Vice-Chairperson, I welcome the Constitution Amendment Bill and support it. Of course, it has been brought so late. The consensus of the House and the people outside is that the Constitution should have been amended in this perspective a long time back.

Well, may be India is considered as the largest democracy—there is no denying the fact. But I construe that it is not a quality democracy. The largest does not mean quality, always. And all over these years, 40, 45 years, we have also seen and experienced that we have quite lost respect for the democracy in this country because most of the people, majority of the people, are uneducated. They are poor and they do not know—as some of the Members have already vouched—even the names of the candidates they are voting for; they do not know the purpose of the political parties—what they are meant for—and they are driven by muscle power, by money powers, like herds of cattle, to vote. They hardly vote by conscience as a democracy does mean and does construe, and it is a very, very hurting thing how our democracy is functioning. Therefore, I construe our democracy as a limping democracy. It is not even a near-perfect democracy—it is a limping democracy. We have borrowed this system from the age-old democracy of England—which it a mature democracy and we have not learnt any lessons from such democracies. It is very unfortunate.

For the first time we thought that we would run the country in a democratic fashion and the people will have a real participation in it. And for whatever content and purpose they had voted for, they expected certain things to come contain reforms to come, to make their lives better, to improve their lives, to make their

[Dr. Naunihal Singh]

life a quality life but, surely, instead of being a quality life, it has fallen down.

I remember, when I was campaigning and going down in the rural areas, a lady of about 80 to 90 years caught hold of me and said, "Sit down. Don't go running around like a mad dog. You know, I have seen all these years, though I am uneducated, this democracy has failed, completely failed!" That is the test of a democracy. The man in the street, the common man, if that person utters these words, it does mean something.

We, as educated people, in this August House may talk all in glib terms about democracy, may write in golden words in articles and various papers and speak here about the various good aspects of democracy. Of course, democracy is one of the best forms of Government in the world, there is no denying the fact, but can we introspect? Why don't we soliloquize and talk to our conscience whether we have delivered the goods in the context of the democracy that we envisaged in this particular country? We have not. The answer will be "No."

We find, as many hon. Members have already said, muscle power and money power. No educated class of people would like to have, or would manage to have, muscle power or money power. So, what is happening? As one Member has said, a new generation of people is coming into politics. Some have very bad background. They have money. By hook or crook they have brought money. They have the muscle and all that. They have goons and goondas on their side.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Call them "anti-social elements."

DR. NAUNIHAL SINGH : They are anti-social elements. We should have a system of investigating into the background of the candidate before we agree that such a person should be given the ticket or should be allowed to come into the fray. But we do not examine or investigate their background, just as we do when we recruit officials. When we recruit officers and officials, we investigate quite a lot, but we don't investigate into the background of such people become candidates for this political process.

Ultimately, they become a failure, they bring a bad name to this democracy and they do not deliver the goods. How can they legislate? They are not aware of it, they are less educated and they are anti-social elements. So, let us pick up the right people, nice people, educated people having good background, for our democracy. So, the reforms, electoral reforms should consider this point which is very important. Otherwise, elections become infructuous and a mockery of the highest order.

I have a chance to visit other countries nearly every year, and people laugh at us. They say, "What kind of democracy is it? In every election so many people are killed. There is a lot of violence. We do not have violence here. We go in a very peaceful manner through the media or through the Press or through various other ways which are civil but not in this way that people are forced unknowingly or knowingly to vote this way or that way. That is not a democracy in any way."

So, now comes the question of delimitation. Some of the hon. Members have pointed out about delimitation which is a must now. For the last so many years certain constituencies in the country have been reserved. In those reserved constituencies there are many people who belong to other communities, may be backward communities, who could become good leaders of the people. They have always been denied a chance. So, I would urge through you, Madam, that through the delimitation process those constituencies which have been reserved, should be examined thoroughly, and, if they do not come to the standard of being reserved in terms of the population of the Scheduled Caste people and all that, they should be de-reserved, and the general constituencies may be reserved for them. Now the chance should be given to the people of the reserved constituencies also to come up and also participate in the political process.

Then, lastly—I will not take more time of the House—a very important point has been raised whether the parliamentary system of government has actually succeeded all these years, 45 years, and whether there is a need for any other form of government, say, a presidential form of government. Of course, there should be a national debate.

Also outside for the last several years intellectuals have been murmuring about this. Even abroad I have met some people who say, "You have not succeeded in political process when you have pursued the parliamentary form of government. So, it is better to try another way, a presidential form of government." So, I urge, through you, Madam, that this is a very important aspect. Now it is in the air that we should discuss this in some national forums and think about it, whether it is time now when we could consider this kind of an alternative rather, to have a presidential form of government, because if we are a democracy, we should leave our country, for the progeny, in a really good manner. We should not scuttle the people's interests and destroy the democracy for no good reasons. Otherwise, the progeny will dub us as traitors and will accuse us that we did not think about them and that we did not leave a good system for them to cherish.

Thank you, Madam.

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu) : Thank you for giving me this opportunity, Madam. I wish to put forth my views on behalf of the All-India Anna DMK on the Constitution (Amendment) Bill brought by the hon. Member, Shri John Fernandes.

As far as the casting of vote is concerned, the Bill seeks to make it a fundamental duty. I can understand the intention and goodwill of the hon. Member in saying so. Keeping in view very poor polling in general in the recent elections, the hon. Member feels that it would be in the fitness of things for our democracy to make franchise a fundamental duty. As far as the intention of the Bill is concerned, I am one with him. I feel making it a fundamental duty will make inroads into the Fundamental Rights of a citizen which are fruits of democracy. However, there is a compelling necessity to educate the people about their rights and as citizens of this country in electing a Government of their choice. The Press and the electronic media can play a major role in awakening the democracy consciousness in the people. Social organisations, voluntary agencies and pressure groups should be used in educating the illiterate masses in the remote regions of the country. I am sure eradication of illiteracy will go a long way in making the

people aware of their democratic rights. One of the major reasons for a low turnout during the election time is the disillusionment of the people with the frequency of the elections and the election process itself. If there is a frustration among the people not to cast their votes, I must tell you frankly that all political parties are responsible for it. We should not simply blame the people for not exercising their responsible for it. We should not simply franchise. Election after election has not brought even the basic amenities of life to the common man. He has got a feeling, what has he to do with the elections? So this feeling keeps him away from the polling booth.

Being an Advocate, I had an opportunity to mingle with all the sections of the people, particularly the downtrodden and the working class. I had an occasion to know about their minds. They feel that the money spent on elections is much more than the money spent to improve the living conditions of the people. This apart, goondaism plays its own role in thwarting the election process. Money power and muscle power prevent the people from voting according to their conscience. Therefore, the need of the hour is radical electoral reforms to keep the process of election sacred and democratic in the true sense of the term. If this is done, I am pretty sure that there would not be any need to bring in a legislation to make voting a fundamental duty. Thank you.

उत्तरभाषक (श्रीवती लक्ष्मी शर्मा) : आप तीन मिनट में हल कर दें तो इसको बाज ही सत्य कर दोगे।

श्री मोहम्मद अकबर उर्फ मोर अकबर (उत्तर प्रदेश) : तीन मिनट में ही सत्य करने की कोशिश करूंगा। जो यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया है मैं उसकी हिमायत करने के लिए सड़ा हुआ हूँ। मैं यह समझता हूँ, बकत जाया करना अगर मैं उसमें बीजेपी वही बाहराज जो बहुत बुरा मेमबरान में बाहराज है। इसके जो मीटिंग्स और डिबेट्स हैं वह तो हमारे मौजूदा सिस्टम में बताई हैं। जैसी आपकी जीत के बंदर अगर कोई बायसी वोट नहीं देता था तो उसको सहरीयत के हक में महसूस कर दिया

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल]

जाता था। आज भी मलयाेशिया, पीरू, सिंगापुर वगैरह में यह सिस्टम लागू है। लेकिन इस के बावजूद कि यह होना चाहिए ऐसा दिल सब का बहता है और जो हमारा मौजूदा सिस्टम है उसकी खराबी यहां पर बताई गई कि माइनोरिटी वोट से ज्यादातर सरकार चलती है। यह मंरे ख्याल में सबसे बड़ी खराबी है इसकी। इसलिए पूरे मुल्क के अवाम का हिस्सा होना चाहिए, उनकी पूरी आरजू और तमन्ना जो है, कोई भी मौजूदा सरकार हो उसमें भूलकनी चाहिए। इसके लिए इसको कम्लसरी करने में बड़ा फायदा महसूस होता है लेकिन मैं डरता हूँ कि हिन्दुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क में, जिसकी आबादी इतनी बड़ी है वहां यह प्रेक्टिकल है या नहीं है? मुझे लगता है प्रेक्टिकल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कोई न कोई तरीका ऐसा जरूर ढूँढना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा जो अवाम है वह वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सके। अभी जो कम्लसरी करने की बात है, मैं अभी फर्नीडिस साहब से बात कर रहा था कि अगर आप इसको कम्लसरी कर देंगे तो और कोई आदमी वोट नहीं डालता है तो मुझे बताइए कि उसको आप सजा क्या मुकदम करोगे? उन्होंने कहा कि यह तो डिटेल में चर्च करने की बात है। मुझे लगता है कि उनके जहन में भी यह बात साफ नहीं है कि कोई आदमी वोट न डाले तो उसको क्या सजा दी जाए। अगर हम लोग सजा नहीं दें पाते हैं तो वोट न डालने वाले को क्या सजा दें। बहरहाल ये सब बातें हमारे जहन में हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह प्रेक्टिकल नहीं है। वैसे जज्बा बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्राइवेट मंबरो के दिल वहां पर आते रहते हैं और सरकार उन पर भाजरा भी करती रहती है। मुझे याद है, श्री सुरेश पंचौरी जी ने बहुत अच्छा बिल बूढ़ों की पेंशन और बंदाओं की पेंशन के लिए पेश किया था। सरकार ने उसे भी भाजरा

कर ली, क्योंकि ये इस किसम के काम है कि अमूमन हिन्दुस्तान में रहने वाली कोई भी सरकार हों, उसको भाजरा ही करना पड़ता है। हमारी हालत इस किसम की नहीं है कि हम इसको लागू कर सकें। फिर भी हमारे ला मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं और हमारे ला मिनिस्टर साहब दिल्ली के मन्सहूर लायर्स में रहे हैं। इनका बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि वे जमहूरी अन्दाज के आदमी हैं। कोई न कोई सबील उनको जरूर ढूँढनी चाहिए। जैसा कहा गया है, इसको कम्लसरी करना प्रेक्टिकल नहीं है। मैं भी कोई ठोस सुझाव नहीं दे सकता हूँ कि आप ऐसा कर दें। लेकिन ला मिनिस्ट्री के पास यकीनन बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। इस पर कोई न कोई सेमिनार करना चाहिए और इसका इन्वीस्टिगेशन करना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए और कोई ऐसा तरीका ढूँढना चाहिए कि जो हिन्दुस्तान में सरकार आए वह कम से कम 51 फीसद लोगों की सरकार हो, वह 49 फीसद लोगों की सरकार न हो। हमें कोई न कोई तरीका जरूर डेवलप करना चाहिए।

سری محمد افضل عرف م۔ افضل :
 "اتر پردیش : تین منٹ میں ہی ختم
 کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو یہ بل
 فرنانڈیز صاحب نے پیش کیا ہے میں
 اس کی حمایت کرنے کے لئے کھڑا ہوا
 ہوں میں یہ سمجھتا ہوں وقت ضائع
 کرنا ہوگا۔ اگر میں تمام چیزیں وہی
 دھراؤں جو بہت سارے ممبران نے
 دہرائی ہیں اس کے جو میرٹس اور
 ڈی میرٹس ہیں وہ تو ہمارے موجودہ
 سسٹم میں بتائی ہیں۔ جیسی آپ کو
 جانکاری ہوگی کہ اولڈن ٹائم میں
 گریس کے اندر اگر کوئی آدمی ووٹ

نہیں دیتا تھا تو اس کو شہریت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی ملیشیا۔ پیرو۔ سنگاپور وغیرہ میں یہ سسٹم لاگو ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ ہونا چاہئے۔ ایسا دل سب کا کہتا ہے اور جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے اس کی خرابیاں یہاں پر بتائی گئیں کہ مائٹرائی ووٹ سے زیادہ سرکاری حلقے ہیں یہ میرے خیال میں سب سے بڑی خرابی ہے۔ اس کی۔ اس لئے پورے ملک کے عوام کا حصہ ہونا چاہئے ان کی پوری آرزو اور تمنا جو ہے کوئی بھی موجودہ سرکار ہو اس میں جھلکنی چاہئے۔ اس کے لئے اس کو کمپلسری کرنے میں بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ہندوستان جیسے کثیر آبادی والے ملک میں جس کی آبادی اتنی بڑی ہے وہاں یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ضرور ڈھونڈنا چاہیے جس سے زیادہ سے زیادہ جو عوام ہے وہ ووٹنگ رائٹس کا استعمال کر سکے۔ ابھی جو کمپلسری کرنے کی بات ہے میں ابھی فرنڈ انٹرنیٹ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اس کو

کمپلسری کر دیتے ہیں اور کوئی آدمی ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو مجھے بتائے کہ آپ اس کی کیا سزا مقرر کریں گے انھوں نے کہا ہے کہ یہ تو ڈٹیل میں چیک کرنے کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات صاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی ووٹ نہ ڈالے تو اس کو کیا سزا دی جائے۔ اگر ہم لوگ سزا نہیں دے پاتے ہیں تو ووٹ نہ ڈالنے والے کو کیا سزا دیں بہر حال یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بریکھیکل نہیں ہے۔ ویسے جذبہ بہت اچھا ہے۔ بہت سارے پرائیویٹ ممبروں کے بل یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ اور سرکار ان پر معذرت بھی کرتی رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ شری سریش پچوری جی نے بہت اچھا بل بوڑھوں کی پنشن اور میواؤں کی پنشن کے لئے پیش کیا تھا۔ سرکار نے اس سے بھی معذرت کر لی۔ کیونکہ یہ اس قسم کے کام ہیں کہ عوام ہندوستان میں رہنے والی کوئی بھی سرکار ہو اس کو معذرت ہی کہنا پڑتا ہے۔ حالت اس قسم کی نہیں ہے کہ ہم اس کو لاگو

کر سکیں۔ پھر بھی ہمارے لارمنسٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے لارمنسٹر صاحب وائی کے مشہور لائبروں میں رہتے ہیں۔ ان کا بڑا یوگدان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری انداز کے آدمی ہیں۔ کوئی نہ کوئی سبیل ان کو ضرور ڈھونڈنی چاہیے۔ جیسا کہ کیا ہے اس کو کمپسری کرنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ میں بھی کوئی ٹھوس سمجھاؤ نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ ایسا کر دیں۔ لیکن لارمنسٹری کے پاس بہت سارے ایسکپرس ہیں۔ اس پر کوئی نہ کوئی سیمینار کرنا چاہیے۔ اور اس کا انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اور ریسرچ کرنا چاہیے۔ اور کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جو ہندوستان میں سرکار آئے وہ کم سے کم ۵۱ فیصد لوگوں کی سرکار ہو۔ ۴۹ فیصد لوگوں کی سرکار نہ ہو۔ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ڈیولپ کرنا چاہیے۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मुझे एक राय लेनी है। शुक्रवार के दिन ढाई बजे से 5 बजे तक प्राइवेट बिजनेस का होता है। अब 5 बजने में 3 मिनट बाकी है। मुवर को अपना रिप्लाइ भी डिबेट का देना है। मंत्री जी भी रिप्लेट करना चाहेंगे। उसके बाद मालूम नहीं कि वोटिंग करना चाहेंगे या विदबा करना चाहेंगे। आप लोगों की सलाह से थोड़ा-सा समय एक्सटेंड करके

इसको हम ले सकते हैं क्योंकि 6 बजे तक तो बैठना ही है, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है। इसको हम आज ही निपटा सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : इसको हम अगले शुक्रवार को ले सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अगला शुक्रवार तो संकल्प का होगा। इसलिए क्या आप इसको आज ही समाप्त करना चाहेंगे ?

श्री ईश बत्त यादव : अगली बार के लिए रहने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो सबन की राय जानना चाहती हूँ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हो सकता है इस पर और लोग भी बोलना चाहें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सर्वसम्मति से तय कीजिये। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे कीजिये। इस बारे में विभिन्न सर्वसम्मति से तय कीजिये।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ) : Private Members' time is over. I have to be in the other House also. I have been sitting here. I want to reply within five minutes. The mover can then decide about it because.....

(Interruptions).

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : इसका मतलब तो यह हुआ कि उनकी तरफ से 10-15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाए और काम को सत्प किया जाए।

श्री ईश बत्त यादव : इसको बढ़ाया जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सबन सब कुछ करने में सक्षम है।

SHRI H. R. BHARDWAJ : No, (Interruptions). Let it be done. No problem.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस पर कुछ लोग और बोलना चाहेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ठीक है।

श्री ईश बत्त यादव : महोदया, यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। इसको अगले शुक्रवार तक के लिए रख दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अगले से अगले शुक्रवार तक के लिए इसको डेफर कर दिया जाए। अब तो सिर्फ एक मिनट का समय बाकी है। क्या आप जवाब देना चाहेंगे ?

SHRI JOHN F. FERNADES : Madam, some speakers are absent. We have to give opportunity to them also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Mr. Minister, that means you do not want to reply now. (Interruptions).

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मुझे आप सिर्फ एक मिनट का समय दे दीजिये।

श्री محمد افضل عرف م۔ افضل :

مجھے آپ صرف ایک منٹ کا سہ سے دیجیے۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : एक दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि अब दो दिन की छुट्टी है। सारे मुल्क की निगाह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ लगी हुई है जो अयोध्या के सिलसिले में है।

श्री محمد افضل عرف م۔ افضل :

ایک دوسرا بہت ہی اہم مدعا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب دو دن کی چھٹی ہے سارے ملک کی نگاہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی طرف لگی ہوئی ہے جو ایودھیا کے سلسلے میں ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : 5 बजे गए हैं। मैं अब स्पेशल मेशन ले रही हूँ। बास मुद्दे का यह समय नहीं है।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : यह बहुत अहम मसला है।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :

یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : पहले मुझे स्पेशल मेशन लेने हैं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है... (व्यवधान)

श्री محمد افضل عرف م۔ افضل :

میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کی بات ہے۔۔۔۔۔ "مداخلت"

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं। प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस समाप्त हो गया है। उसके बाद जो स्पेशल मेशन लिस्टेड है, जिन पर लोगों ने अपनी सहमति दी है, 5 बजे बोलने की, मैं उनको बुलाऊंगी। आप बीच में उठ गये ?

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैडम, जाहिर है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर इस मसले को नहीं उठा सकता।

श्री محمد افضل عرف م۔ افضل :

میدم ظاہر ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اس معاملے کو نہیں اٹھا سکتا۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
मांगिये इजाजत । अभी 5 बजे हैं ।
Now the Private Members' Business is
over. Now I am taking up Special Men-
tions. Shri Satish Pradhan—absent. (Inter-
ruptions)

Shri Satya Prakash Malaviya. (Interrup-
tions)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल :
मैडम, सुप्रीम कोर्ट...

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :
میڈم سپریم کورٹ -

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
मैंने इस समय स्पेशल मेंशन लेने की बात कर
दी है ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल :
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश की नजर लगी
हुई है...

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :
سپریم کورٹ کے فیصلے پر دیش
کی نظر لگی ہوئی ہے۔۔۔۔

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
बीठिये अफजल साहब । आप अपना स्पेशल
मेंशन कहिए । ... (व्यवधान) ... मैंने
आप को इजाजत नहीं दी है ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल :
मैं सब जानता हूँ लेकिन यह मसला इतना
अहम है कि...

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :
میں سب جانتا ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ
اہم ہے کہ۔۔۔۔۔

Hindi and Urdu

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
मसले की अहमियत मैं समझ रही हूँ। मुझे
पहले स्पेशल मेंशन लेने दीजिये । ... (व्यव-
धान) ...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ :
Neither have I identified you nor have I
permitted you to speak. Please sit down.
I have identified Mr. Satya Prakash Mala-
viya. Let him speak. Let me finish with
the Special Mentions.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल :
मैडम, क्या मुझे इसकी इजाजत नहीं मिलेगी।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :
میڈم کیا مجھے اس کی اجازت
نہیں ملے گی -

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) :
नहीं ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल :
ठीक है ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :
ٹھیک ہے۔

SPECIAL MENTIONS

NEED TO WITHDRAW THE DECISION TO ABOLISH PALI, ARABIC AND PERSIAN LANGUAGES FROM THE LIST OF OPTIONAL SUBJECTS OF THE CIVIL SERVICES MAIN EXAMINATION

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh) : Madam Vice-Chairman, I am drawing the attention of this House and through this House of this Government to a very important issue on which the student community is very much agitated. Madam, a six-member Committee headed by Professor Satish Chandra, who once upon a time was also the Chairman of the University Grants Commission, was appointed by the Government in August 1988, to review and evaluate the

† [] Transliteration in Arabic script.